

वार्षिक लेखा 2021-2022



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली - 110002
www.ugc.ac.com

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : नवम्बर, 2022

80 प्रतियां

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

डिजाईन एवं मुद्रण : दीया मीडिया आर्ट

: डी-41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,

: लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

: फोन: 9312550335 | ई-मेल : infodma07@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वित्तीय विवरण 2021-2022

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ
वित्तीय विवरण	
31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र	5
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	6
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते	7
अनुसूचियां और अनुलग्नक	
तुलन पत्र की अंगीभूत अनुसूचियां (1 से 8)	8-17
आय और व्यय की अंगीभूत अनुसूचियां (9 से 22)	18-34
अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक शेष (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	35-37
राजस्व व्यय अनुदान के लिए अनुलग्नक	38-54
वार्षिक खाता जीपीएफ	55-57
वार्षिक खाता एनपीएस	58-60
टिप्पणियाँ और नीतियां	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची -23)	61
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां (अनुसूची-24)	62-63
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	64-75
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां	76-88

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

तुलन पत्रा 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

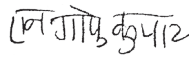
निधियों का स्रोत	अनुसूची	2021-2022	2020-2021
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	(4,294,039,411)	(3,395,759,389)
नामित/निर्धारित/अक्षय निधि	2	160,063,585	370,054,846
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	9,774,575,754	9,949,404,629
कुल		5,640,599,928	6,923,700,086
निधियों का आवेदन			
अचल संपत्तियां	4		
मूर्त सम्पत्ति		52,108,441	57,217,305
अमूर्त सम्पत्ति		-	-
कैपिटल वर्क्स-इन-प्रोग्रेस		-	-
निर्धारित / अक्षय निधि से निवेश	5		
दीर्घावधि		1,812,051	4,691,341
लघु अवधि		-	-
अन्य निवेश	6		
वर्तमान संपत्ति	7	5,430,917,221	6,702,383,099
ऋण, अग्रिम और जमा	8	155,762,215	159,408,341
कुल		5,640,599,928	6,923,700,086
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए टिप्पणियाँ	24		

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आय और व्यय खाता 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

(राशि रुपये में)

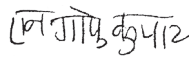
विवरण	अनुसूची	2021-2022	2020-2021
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	-	-
अनुदान/सब्सिडी	10	135,878,163,036	126,805,469,293
निवेश से आय	11	-	-
अर्जित ब्याज	12	306,046,452	267,194,823
अन्य आय	13	16,572,017	35,451,094
पूर्व अवधि आय	14	-	-
कुल (क)		136,200,781,505	127,108,115,210
व्यय			
स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	1,426,455,880	5,785,847,604
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	10	135,010,763,694	125,966,640,273
शैक्षणिक व्यय	16	-	-
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	620,170,981	554,346,242
परिवहन खर्च	18	5,265,570	4,700,804
मरम्मत और रख रखाव	19	16,386,205	14,465,051
वित्त लागत (बैंक शुल्क)	20	208,118	10,699
अन्य खर्च	21	-	-
पूर्व अवधि व्यय	22	14,702,215	51,121,236
मूल्यहास	4	10,196,800	9,591,720
कुल (ख)		137,104,149,463	132,386,723,629
व्यय से अधिक आय का शेष होना (ए -बी)		-903,367,958	-5,278,608,419
नामित निधि में / से स्थानांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)		-	-
शेष राशि आधिक्य / (घाटा) को कॉर्पस में ले जाया गया पूंजी कोष		-903,367,958	-5,278,608,419
सिद्धांत लेखा नीतियां	23		
खातों के लिए नोट्स	24		

स्थान :

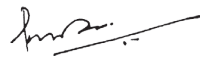
दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्राप्तियां और भुगतान खाता वर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

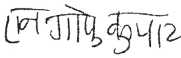
(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2021-2022	2020-2021	भुगतान	2021-2022	2020-2021
प्रारंभिक शेष			व्यय		
बैंक शेष			स्थापना व्यय	506,825,150	516,830,905
वचत खाते (मुख्यालय)	6,682,278,364	7,332,742,975	प्रशासनिक व्यय	620,871,954	552,402,418
वचत खाते (आरओ)	20,104,735	503,256,853	परिवहन खर्च	5,265,570	4,700,804
जमा खातों में (मुख्यालय)	4,691,341	4,510,330	मरम्मत और रख-रखाव	16,386,205	14,465,051
			वित्त लागत (बैंक शुल्क)	208,118	10,699
			पूर्व अवधि व्यय	14,702,215	51,121,236
अनुदान अधिकृत			निर्धारित / अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 11)	-	-
मंत्रालयों से	138,504,258,000	131,351,300,000	निर्धारित / अक्षय निधि के लिए भुगतान (अनुसूची 2)	2,748,012,770	2,856,139,126
विभिन्न संस्थानों से अनुदान की वापसी	2,622,932,176	1,948,009,563	अनुदान पर व्यय	135,010,763,694	125,966,640,273
इयरमार्क फंड से प्राप्त राशि (अनुसूची 2)	-	-	अन्य भुगतान	-	3,216,129
अग्रिमों की वसूली (अनुसूची 7)	-	-	अचल संपत्तियां (अनुसूची 4)	5,087,936	4,406,595
			शिक्षा मंत्रालय को वापस की गई राशि	4,424,509,041	542,722,940
			वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत	1,918,017,899	6,516,287,702
ब्याज आय					
बैंक जमा	214,405,317	119,817,609	अन्य भुगतान	-	1,320,179
ऋण और अग्रिम	6,069,974	91,514			
वचत बैंक खाते (अनुसूची 12)	89,217,287	145,138,223	निवेश और अग्रिम	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के लिए रसीद (अनुसूची 2)	2,538,021,509	2,297,020,335	जमा शेष		
			बैंक शेष		
अन्य आय (अनुसूची 13)	16,572,017	35,451,094	वचत खाते (मुख्यालय)	5,413,048,300	6,682,278,364
अन्य रसीद	4,829,104	-	वचत खाते (आरओ)	17,868,921	20,104,735
			जमा खातों में (अनुसूची 5)	1,812,051	4,691,341
कुल	150,703,379,823	143,737,338,497	कुल	150,703,379,823	143,737,338,497

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 1- कॉर्पस / पूंजीगत निधि

(राशि रुपये में)

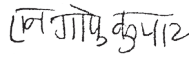
विवरण	2021-2022	2020-2021
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-3,395,759,389	1,878,442,435
जमा: कॉर्पस/पूंजीगत निधि में योगदान	-	-
जमा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई सीमा तक भारत सरकार से अनुदान	5,087,936	4,406,595
जमा: निर्धारित निधि से खरीदी गई संपत्तियां	-	-
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित वर्ष के लिए घाटा/अधिशेष	-	-
जमा: एफडीआर परिपक्व यूजीसी नेट	-	-
घटा: शिक्षा मंत्रालय को राशि वापसी	-	-
घटा: जीपीएफ कॉर्पस फंड की राशि	-	-
घटा: एनपीएस कॉर्पस फंड की राशि	-	-
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार अग्रिम का समायोजन	-	-
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार समायोजन	-	-
जमा: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित व्यय से अधिक आय	-903,367,958	-5,278,608,419
कुल	(4,294,039,411)	-3,395,759,389
(कटौती) आय और व्यय खाते से अंतरित घाटा	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	(4,294,039,411)	-3,395,759,389

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अनुसूची 2/ नामित / निर्धारित अधक्षय निधि

(राशि रुपये में)

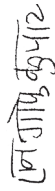
विवरण	फंड वार ट्रेकअप					कुल	
	अक्षय निधि	मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	2021-2022	2020-2021
क							
क) प्रारंभिक शेष	10,394,817	41,866,426	48,846,102	259,034,411	9,913,090	370,054,846	929,173,637
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	740,000,000	555,500,000	1,223,997,830	-	2,519,497,830	2,254,975,683
ग) निधियों से किए गए निवेश से आय	91,118	3,447,839	325,802	5,935,948	-	9,800,707	32,624,773
घ) निवेश/अग्रिम पर अर्जित व्याज	117,640	-	-	-	-	117,640	166,491
ड) बचत बैंक खाता पर व्याज	108,182	3,799	302,690	893,582	288,492	1,596,745	480,102
च) अन्य परिवर्धन (स्वरूप निर्दिष्ट करें)	-	2,193,743	1,399,114	2,815,730	600,000	7,008,587	8,773,286
कुल (क)	10,711,757	787,511,807	606,373,708	1,492,677,501	10,801,582	2,908,076,355	3,226,193,972
ख)							
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय							
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय	-	781,544,184	603,556,410	1,362,577,276	334,900	2,748,012,770	2,856,139,126
कुल (ख)	-	781,544,184	603,556,410	1,362,577,276	334,900	2,748,012,770	2,856,139,126
वर्ष के अंत में अंतिम शेष (क - ख)	10,711,757	5,967,623	2,817,298	130,100,225	10,466,682	160,063,585	370,054,846
द्वारा प्रस्तुत							
नकद और बैंक शेष	8,630,205	5,897,510	97,326	663,064	10,466,682	25,754,787	15,660,645
निवेश	1,812,051	70,113	2,719,972	129,437,161	-	134,039,297	354,165,508
व्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	269,501	-	-	-	-	269,501	228,693
कुल	10,711,757	5,967,623	2,817,298	130,100,225	10,466,682	160,063,585	370,054,846

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रमनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

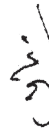
अनुसूची 1- कॉर्पसधूंजीगत निधि

(राशि रुपये में)

1.क्रम संख्या.	2.अक्षय निधि का नाम	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन			कुल		10. वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंतिम शेष		कुल (1112)
		3. अक्षय निधि	4. संचित ब्याज	5.अक्षय निधि	6. ब्याज	7. ६ नवापसी	8. बंदोबस्ती (३५7)	9. संचित ब्याज (46)		11. अक्षय निधि	12. संचित ब्याज	
1	अक्षय निधि	10,394,817	117,640.00	-	199,300	-	10,394,817	316,940	-	10,394,817	316,940	10,711,757
2	मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	41,866,426	-	740,000,000	3,451,638	2,193,743	784,060,169	3,451,638	781,544,184	2,515,985	3,451,638	5,967,623
3	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	48,846,102	-	555,500,000	628,492	1,399,114	605,745,216	628,492	603,556,410	2,188,806	628,492	2,817,298
4	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	259,034,411	-	1,223,997,830	6,829,530	2,815,730	1,485,847,971	6,829,530	1,362,577,276	123,270,695	6,829,530	130,100,225
5	अनुसूचित जन-जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	9,913,090	-	-	288,492	600,000	10,513,090	288,492	334,900	10,178,190	288,492	10,466,682
कुल		370,054,846	117,640	2,519,497,830	11,397,452	7,008,587	2,896,561,263	11,515,092	2,748,012,770	148,548,493	11,515,092	160,063,585

स्थान :

दिनांक :



(मी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि रुपये में)

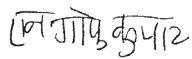
विवरण	2021-2022	2020-2021
वर्तमान देनदारियां		
जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति	-	-
समूह बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	-	-
जीआईएस (कर्मचारी)	-	-
लाइसेंस शुल्क	-	57,143
समय बाधित चेक	-	-
ग्रेच्युटी से रोकी गई राशि	1,446,055	1,018,001
कोर्ट की वसूली	-	-
वाहन अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
निजी पार्टियों-दायित्वों से सुरक्षा जमा	1,660,880	895,880
टैक्स/जीएसटी कटौती अभी जमा नहीं की गई है	3,988,401	-
एलआईसी अंतिम भुगतान	410,919	706,127
एनपीएस-आरओ	-	-
अप्रयुक्त अनुदान	3,573,560,258	4,672,147,994
कुल (क)	3,581,066,513	4,674,825,145
विविध लेनदार	506,144	336,454
वेतन देय	18,508,564	-
वेतन कटौती	7,951,008	-
देय व्यय	4,355,668	5,226,331
कुल (ख)	31,321,384	5,562,785
प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण देय	193,255,508	4,818,665,527
देय ग्रेच्युटी	275,063,121	280,012,202
पेंशन देय	5,693,869,228	170,338,970
कुल (ग)	6,162,187,857	5,269,016,699
कुल (क+ख+ग)	9,774,575,754	9,949,404,629

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 3सी- यूजीसी, भारत सरकार से अनुपयुक्त अनुदान

(राशि रुपये में)

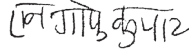
विवरण	2021-2022	2020-2021
अनुदान: भारत सरकार		
शेष अग्रणीत	4,672,147,994	5,241,724,961
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	138,504,258,000	131,351,300,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत हो गया	1,918,017,899	6,516,287,702
कुल (क)	141,258,388,095	130,076,737,259
घटा: मंत्रालय को धनवापसी	4,424,509,041	542,722,940
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	133,255,230,860	124,857,459,730
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	5,087,936	4,406,595
कुल (ख)	137,684,827,837	125,404,589,265
अप्रयुक्त सी/एफ (क-ख)	3,573,560,258	4,672,147,994

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 4- अचल संपत्ति

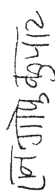
(राशि रुपये में)

संपत्ति शीर्ष	कुल संपत्तियाँ			वर्ष 2021-2022 के लिए मूल्यहास				शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 1.4.2021	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	मूल्यहास प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2022	31.03.2021
फर्नीचर और स्थिरता	22,791,282	261,790	-	23,053,072	13,249,228	1,609,850	-	8,193,994	9,542,054
बिजली के उपकरण	57,428,352	672,260	-	58,100,612	23,285,053	2,905,031	-	31,910,528	34,143,299
कंप्यूटर सहायक उपकरण	98,963,079	2,907,394	-	101,870,473	90,636,166	4,258,987	-	6,975,320	8,326,913
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,683,931	6,043	-	1,689,974	1,330,454	129,670	-	229,850	353,477
मोटर गाड़ी	6,693,208	-	-	6,693,208	4,512,664	669,321	-	1,511,223	2,180,544
कार्यालय उपकरण	3,867,141	499,303	-	4,366,444	1,196,125	327,483	-	2,842,838	2,671,018
कुल (क)	191,426,993	4,346,790	-	195,773,783	134,209,690	9,900,342	-	51,663,753	57,217,305
पूँजीगत कार्य प्रगति पर है। (ख)									
अमूर्त संपत्ति	सकल ब्लॉक			वर्ष 2021-2022 के लिए मूल्यहास				शुद्ध संपत्तियाँ	
	प्रारंभिक शेष 01.04.2021	परिवर्धन	कटौती	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष का मूल्य हास	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2022	31.03.2021
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	741,146	-	741,146	-	296,458	-	444,688	-
ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पेटेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	741,146	-	741,146	-	296,458	-	444,688	-
कुल योग (क. ख. ग)	191,426,993	5,087,936	-	196,514,929	134,209,690	10,196,800	-	52,108,441	57,217,305

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 5- निर्धारित / अक्षय निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

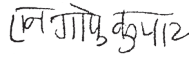
विवरण	2021-2022	2020-2021
	निर्धारित निधि	निर्धारित निधि
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
बैंकों के साथ सावधि जमा	1,812,051	4,691,341
अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	1,812,051	4,691,341

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 6- निवेश- अन्य

(राशि रुपये में)

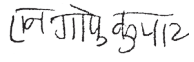
विवरण	2021-2022	2020-2021
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
4. शेयर	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 7- वर्तमान संपत्ति

(राशि रुपये में)

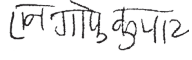
विवरण	2021-2022	2020-2021
बैंक बैलेंस और निवेश-यूजीसी		
रोकड़ शेष	-	-
बचत बैंक खाता मुख्यालय	5,413,048,300	6,682,278,364
बचत बैंक खाता आरओ	17,868,921	20,104,735
कुल	5,430,917,221	6,702,383,099

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम और जमा

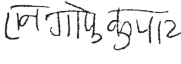
(राशि रुपये में)

विवरण	2021-2022	2020-2021
अग्रिम और अन्य संपत्ति		
सीपीडब्ल्यूडी के साथ अग्रिम	93,592,832	93,592,832
सरकारी संपत्ति के साथ सुरक्षा जमा	365,356	365,356
गृह-निर्माण अग्रिम	-	-
गृह निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-	-
वाहन अग्रिम	179,821	184,321
त्योहार अग्रिम	84,075	690,075
कंप्यूटर अग्रिम	77,709	90,209
जीवन बीमा योजना	-	-
सामूहिक बीमा योजना	-	-
लाइसेंस शुल्क-सरकारी आवास	-	-
एनडीएमसी	-	-
विविध प्राप्तियां-प्रतिनियुक्ति	-	-
यूजीसी-एनपीएस वसूली	-	-
सीपीएफ खाता से प्राप्य ब्याज	-	-
बैठक और सम्मेलन के लिए अग्रिम	636,290	626,290
टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	2,583,609
लाइसेंस शुल्क अग्रिम	-	-
एंटी रैगिंग सेल	713,250	5,000,000
एलटीसी अग्रिम	223,174	321,000
चिकित्सा अग्रिम	2,034,000	385,200
पूर्व भुगतान बीमा	23,502	29,676
एनआईसीएसआई के साथ अग्रिम	-	-
किरोड़ीमल कॉलेज के लिए अग्रिम	15,000,000	15,000,000
विविध कार्यालय व्ययअग्रिम	25,042,699	22,071,245
प्रोपेड एएमसी	477,103	492,776
टीए/डीए आधिकारिक अग्रिम	-	320,000
प्रकाशन अग्रिम	2,361,550	2,200,000
प्रोपेड सदस्यता	-	-
अन्य परिसम्पत्तियाँ		
टीडीएस प्रेषण	-	74,250
एम्प्रेस्ट मनी अग्रिम	10,000	-
मोटर कार/मोटर साइकिल रखरखाव अग्रिम	-	66,348
ई-गवर्नेंस इनफ्लिबनेट स्थापना अग्रिम	9,458,495	12,196,000
अर्जित आय		
अक्षय निधि पर अर्जित ब्याज एफ डी आर	269,501	228,693
सीपीएफ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
जीपीएफ एफडीआर पर अर्जित ब्याज	-	-
अर्जित ब्याज	5,212,858	2,890,461
कुल	155,762,215	159,408,341

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि रुपये में)

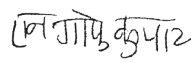
विवरण	2021-2022	2020-2021
विद्यार्थियों से शुल्क		
शैक्षिक		
1 शिक्षा शुल्क	-	-
2. प्रवेश शुल्क	-	-
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	-	-
5. प्रयोगशाला शुल्क	-	-
6. कला और शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	-	-
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
कुल (क)	-	-
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	-	-
3. मार्कशीट, सर्टिफिकेट फीस	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	-	-
जुर्माना/विविध शुल्क/दंड शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क	-	-
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. छात्रावास शुल्क	-	-
6. संस्थानों से प्रसंस्करण शुल्क/विनियामक शुल्क		
कुल (ग)	-	-
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री	-	-
2. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि की बिक्री।	-	-
3. प्रवेश प्रपत्रों सहित विवरणिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि रुपये में)

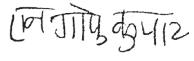
विवरण	2021-2022	2020-2021
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय)	-	-
कुल (इ)	-	-
कुल योग (क. ख. ग. घ. डय)	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 10- अनुदान और सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान)

(राशि रुपये में)

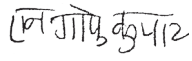
विवरण	2021-2022	2020-2021
	भारत सरकार	भारत सरकार
अग्रेनित शेष	4,672,147,994	5,241,724,961
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	138,504,258,000	131,351,300,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान व्यपगत	1,918,017,899	6,516,287,702
जमा: वर्ष के दौरान आय	322,618,469	302,645,917
कुल	141,581,006,563	130,379,383,176
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	5,087,936	4,406,595
घटा: शिक्षा मंत्रालय को धन वापसी	4,424,509,041	542,722,940
जमा: अव्ययित अनुदान की वापसी	2,622,932,176	1,948,009,563
शेष	139,774,341,762	131,780,263,204
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया	135,010,763,694	125,966,640,273
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	1,190,017,811	1,141,474,937
शेष सी /एफ (सी)	3,573,560,258	4,672,147,994

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 11- निवेश से आय

(राशि रुपये में)

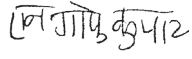
विवरण	निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		अन्य निवेश	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
ब्याज	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
अन्य बांड / डिबेंचर	-	-	-	-
सावधि जमा पर ब्याज	-	-	-	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
निर्धारित / अक्षय निधि में स्थानांतरित			-	-
शेष	-	-	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 12- अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

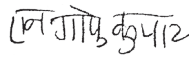
विवरण	2021-2022	2020-2021
अनुसूचित बैंकों के बचत खातों पर	80,979,166	109,978,466
अनुसूचित बैंकों के फ्लेक्सी खातों पर	216,768,522	121,965,086
क्षेत्रीय कार्यालय		
सीआरओ भोपाल	5,604,769	16,471,470
ईआरओ कोलकाता	860,930	1,201,240
डब्ल्यूआरओ - पुणे	777,033	6,578,231
सीआरओ हैदराबाद	263,081	1,797,331
एसडब्ल्यूआरओ- बेंगलूर	713,656	4,574,576
एनईआरओ -गुवाहटी	18,652	4,536,910
ऋण पर		
कर्मचारी/स्टाफ	60,643	91,514
अन्य	-	-
देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर	-	-
कुल	306,046,452	267,194,823

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 13- अन्य आय

(राशि रुपये में)

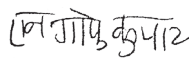
विवरण	2021-2022	2020-2021
भूमि और भवनों से आय		
छात्रावास का कमरा किराया	-	-
लाइसेंस शुल्क (यूजीसी स्टाफ क्वार्टर)	13,520	12,480
सभागार/खेल का मैदान/सम्मेलन केंद्र आदि का किराया प्रभार	-	-
बिजली शुल्क वसूल किया गया	-	65,472
कुल (क)	13,520	77,952
संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/खेल कार्निवाल से सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	-	-
उत्सव से सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: उत्सव पर होने वाला प्रत्यक्ष खर्च	-	-
शैक्षिक दौरो के लिए सकल प्राप्तियां	-	-
घटा: दौरो पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	-	-
अन्य (विनिर्दिष्ट और अलग से प्रकट किए जाने के लिए)	-	-
कुल (ख)	-	-
अन्य		
आरटीआई शुल्क	32,827	36,796
आवेदन पत्र की बिक्री (भर्ती)	-	-
विविध रसीदें (निविदा फॉर्म, रद्दी कागज, आदि की बिक्री)	355,670	-
मानित विश्वविद्यालय के लिए प्रसंस्करण शुल्क	16,000,000	34,500,000
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	170,000	-
स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
नि: शुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
संस्थानों, कल्याण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय से अनुदान / दान	-	-
संगठनों	-	-
अन्य (निर्दिष्ट)	-	836,346
कुल (ग)	16,558,497	35,373,142
कुल योग (क.ख.ग)	16,572,017	35,451,094

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 14- पूर्व अवधि आय

(राशि रुपये में)

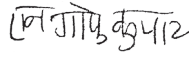
विवरण	2021-2022	2020-2021
1. शैक्षणिक प्राप्तियां	-	-
2. निवेश से आय	-	-
3. अर्जित ब्याज	-	-
4. अन्य आय	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 15- कर्मचारी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

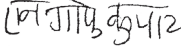
(राशि रुपये में)

विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वेतन और मजदूरी	219,468,871	23,807,555	243,276,426	224,517,356	24,160,759	248,678,115
महंगाई भत्ता	61,057,456	5,919,095	66,976,551	39,075,006	3,902,389	42,977,395
परिवहन भत्ता	20,427,848	1,865,453	22,293,301	19,209,755	1,908,022	21,117,777
मकान किराया भत्ता	42,607,292	5,175,835	47,783,127	40,177,266	4,676,300	44,853,566
बाल शिक्षा भत्ता	3,402,000	324,677	3,726,677	5,582,250	346,204	5,928,454
समयोपरि भत्ता	28,364	-	28,364	42,087	-	42,087
यात्रा भत्ता/अधिकारी	2,112,694	373,749	2,486,443	693,789	403,724	1,097,513
यात्रा भत्ता /स्थापना	45,889	207,396	253,285	-	12,056	12,056
प्रतिनियुक्ति भत्ता	58,500	-	58,500	54,000	-	54,000
एलटीसी स्थापना	997,910	76,176	1,074,086	2,285,121	229,599	2,514,720
एलटीसी अधिकारी	1,686,081	350,931	2,037,012	1,592,278	469,974	2,062,252
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,413,408	2,234,084	11,647,492	9,489,874	1,222,431	10,712,305
मानदेय	47,500	-	47,500	64,000	-	64,000
पेंशन और अवकाश वेतन योगदान	-	-	-	543,670	58,340	602,010
जमा लिंक बीमा	240,000	-	240,000	-	-	-
अवकाश वेतन नकदीकरण	54,942,430	319,610	55,262,040	197,959,942	189,068	198,149,010
सेवानिवृत्ति पर पेंशन	919,204,484	-	919,204,484	4,874,123,817	-	4,874,123,817
सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी	50,060,592	-	50,060,592	332,858,527	-	332,858,527
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-
कुल	1,385,801,319	40,654,561	1,426,455,880	5,748,268,738	37,578,866	5,785,847,604

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 15ए - कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ

(राशि रुपये में)

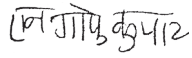
	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि	4,818,665,527	280,012,202	170,338,970	5,269,016,699
जमा : अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान का पूंजीकृत मूल्य	-	-	-	-
कुल (क)	4,818,665,527	280,012,202	170,338,970	5,269,016,699
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	329,409,987	55,009,673	32,345,502	416,765,162
31.03.2021 को उपलब्ध शेष राशि ग =(क -ख)	4,489,255,540	225,002,529	137,993,468	4,852,251,537
बीमांकिक मूल्यांकन (डी) के अनुसार 31.03.2022 को आवश्यक प्रावधान	5,693,869,228	275,063,121	193,255,508	6,162,187,857
क) चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (डी -सी)	1,204,613,688	50,060,592	55,262,040	1,309,936,320
ख) नई पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ) सेवानिवृत्ति पर गृह-नगर की यात्रा	-	-	-	-
ड) जमा लिंकड बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (कखगघ. ड)	1,204,613,688	50,060,592	55,262,040	1,309,936,320

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 16- शैक्षणिक व्यय

(राशि रुपये में)

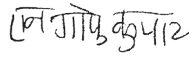
विवरण	2021-2022	2020-2021
a) प्रयोगशाला व्यय	-	-
b) क्षेत्रीय कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी	-	-
c) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर व्यय	-	-
d) विजिटिंग संकाय को भुगतान	-	-
e) सीएमएटी और जीपीएटी परीक्षा	-	-
f) छात्र कल्याण व्यय	-	-
g) प्रवेश व्यय	-	-
h) दीक्षांत समारोह व्यय	-	-
i) प्रकाशन	-	-
j) वजीफा /साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	-
k) सदस्यता व्यय	-	-
l) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
आधारभूत संरचना						
विजली और पानी का व्यय	20,286,972	672,420	20,959,392	13,768,386	717,815	14,486,201
किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)	4,835,616	128,923	4,964,539	282,740	199,975	482,715
संचार						
डाक	1,186,221	365,074	1,551,295	1,068,899	350,000	1,418,899
टेलीफोन व्यय	6,417,006	194,356	6,611,362	4,395,051	423,781	4,818,832
अन्य						
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	3,962,315	217,384	4,179,699	5,858,902	236,311	6,095,213
कंप्यूटर व्यय	2,435,124	-	2,435,124	-	-	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	1,121,210	69,300	1,190,510	1,314,286	120,205	1,434,491
विज्ञापन	2,863,525	24,862	2,888,387	864,874	101,150	966,024
प्रकाशन	1,070,889	-	1,070,889	1,052,275	-	1,052,275
पत्रिकाएँ और अखबार	852,033	14,526	866,559	673,153	161,553	834,706
टीए/डीए गैर आधिकारिक	2,453,384	125,488	2,578,872	1,960,562	211,383	2,171,945
मानदेय गैर आधिकारिक	3,004,000	-	3,004,000	1,818,711	-	1,818,711
सुरक्षा और सफाई व्यय	18,331,944	588,796	18,920,740	17,951,275	-	17,951,275
विविध कार्यालय व्यय	3,752,251	1,547,039	5,299,290	18,274,938	1,616,249	19,891,187
मनोरंजन व्यय	2,727,781	376,038	3,103,819	1,530,105	257,638	1,787,743
हितकारी निधि	183,150	50,000	233,150	-	-	-
विधि व्यय	16,003,035	27,638	16,030,673	28,411,858	83,806	28,495,664
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ व्यय	24,544,775	-	24,544,775	13,860,909	-	13,860,909
रैगिंग रोधी -अभियान	-	-	-	60,000	-	60,000
गृह-व्यवस्था व्यय	5,241,567	-	5,241,567	4,340,969	-	4,340,969
पोशाक और वर्दी	285,197	-	285,197	448,364	-	448,364
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	102,868,555	24,236,015	127,104,570	93,341,753	30,077,657	123,419,410
भर्ती व्यय	13,948,942	-	13,948,942	-	-	-
बैठक और सम्मेलन व्यय	1,688,873	-	1,688,873	543,523	-	543,523
सीजीएचएस को भुगतान किया गया	6,138,385	-	6,138,385	5,572,510	-	5,572,510
सीजीएचएस अंशदान						
नई पेंशन योजना (यूजीसी अंशदान)	8,277,380	2,005,147	10,282,527	7,499,474	2,144,361	9,643,835
स्टाइपेंडियम हंगरिकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	1,269,058	-	1,269,058	1,518,973	-	1,518,973
सदस्यों को मानदेय आरओ	-	-	-	-	11,480	11,480
गैर सदस्यों को मानदेय आरओ	-	114,875	114,875	-	229,167	229,167
सदस्यता और अंशदान	286,390	-	286,390	152,500	-	152,500
प्रशिक्षण (यूजीसी अधिकारी/कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
व्यावसायिक शुल्क	7,214,956	-	7,214,956	4,742,224	-	4,742,224
संस्थानों को प्रसंस्करण शुल्क वापसी	-	-	-	-	-	-
आईटी सहायता शुल्क	-	-	-	-	-	-
स्वयं ई-सामग्री	-	-	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 17- प्रशासनिक और सामान्य व्यय

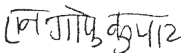
(राशि रुपये में)

विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
चिकित्सा प्रतिपूर्ति-पूर्व कर्मचारी	23,178,716	-	23,178,716	24,115,784	-	24,115,784
पेंशन-मासिक	285,409,204	-	285,409,204	246,508,311	-	246,508,311
उकीरी ई-मोबिलिटी प्रोग्राम	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000
ई-गवर्नेंस इन्फ्लबनेट स्थापना	10,737,505	-	10,737,505	-	-	-
ई-गवर्नेंस	969,273	-	969,273	-	-	-
ई-सामग्री विकास (स्थापना)	120,116	-	120,116	1,221,463	-	1,221,463
कुल	583,665,348	30,757,881	614,423,229	508,152,772	36,942,531	545,095,303

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

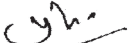
अनुसूची 17- एनएडी और आईओई

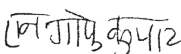
(राशि रुपये में)

विवरण	2021-2022			2020-2021		
	एनएडी	आईओई	कुल	एनएडी	आईओई	कुल
मानदेय	-	-	-	-	351,120	351,120
टेलीफोन व्यय	-	-	-	72,472	-	72,472
टीए/डीए गैर आधिकारिक	-	-	-	-	24,400	24,400
विविध कार्यालय व्यय	-	-	-	1,945,524	60,500	2,006,024
अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को वेतन	3,358,115	2,365,337	5,723,452	3,911,046	2,869,677	6,780,723
बैठक और सम्मेलन व्यय	-	-	-	-	-	-
बैंक शुल्क	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	-	-	-	-	-	-
मनोरंजन व्यय	-	-	-	-	-	-
टीए/डीए अधिकारी	-	-	-	-	-	-
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	24,300	-	24,300	16,200	-	16,200
कुल	3,382,415	2,365,337	5,747,752	5,945,242	3,305,697	9,250,939
कुल। छक्का ज्वा।			620,170,981			554,346,242

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 18- परिवहन व्यय

(राशि रुपये में)

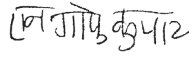
विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वाहन (संस्था के स्वामित्व वाले)						
चल रहा व्यय (रनिंग एक्सपेंडिचर)	2,023,228	-	2,023,228	1,960,712	-	1,960,712
मरम्मत और रख-रखाव	417,743	-	417,743	431,003	-	431,003
बीमा व्यय	90,356	-	90,356	63,724	-	63,724
कार पार्किंग व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन व्यय	-	-	-	86,069	-	86,069
किराये/पट्टे पर लिए गए वाहन						
किरायाधपट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	2,506,340	-	2,506,340	2,092,336	40,670	2,133,006
मोटर कार / मोटर साइकिल रख-रखाव	152,083	75,820	227,903	24,925	1,365	26,290
कुल	5,189,750	75,820	5,265,570	4,658,769	42,035	4,700,804

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 19- मरम्मत और रख-रखाव

(राशि रुपये में)

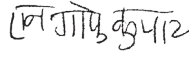
विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
कार्यालय	12,215,846	34,242	12,250,088	9,097,280	99,702	9,196,982
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	213,803	-	213,803	179,971	-	179,971
प्लांट तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-
फोटो कॉपी मशीन	176,540	-	176,540	195,025	-	195,025
श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-
सफाई सामग्री और सेवाएं	-	-	-	-	-	-
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	3,734,149	11,625	3,745,774	4,815,112	77,961	4,893,073
बागवानी	-	-	-	-	-	-
एस्टेट रख-रखाव	-	-	-	-	-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	16,340,338	45,867	16,386,205	14,287,388	177,663	14,465,051

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 20- वित्त लागत

(राशि रुपये में)

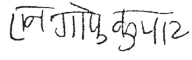
विवरण	2021-2022			2020-2021		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
बैंक शुल्क	89,833	118,284	208,118	7,790	2,909	10,699
बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस	-	-	-	-	-	-
कुल	89,833	118,284	208,118	7,790	2,909	10,699

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 21- अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

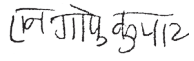
विवरण	2021-2022	2020-2021
क) खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
ख) अपूरणीय शेष बड़े खाते में डालना	-	-
ग) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदानधसबिसडी	-	-
घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 22- पूर्व अवधि व्यय

(राशि रुपये में)

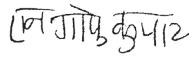
विवरण	2021-2022	2020-2021
आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन	7,106,979	7,680,347
व्यावसायिक शुल्क	323,548	525,000
लाइसेंस शुल्क	-	-
किराया, दरें और कर	-	35,512,426
मरम्मत और रख-रखाव	-	-
विविध कार्यालय व्यय	3,551,319	292,689
विज्ञापन व्यय	-	-
रैगिंग रोधी	-	1,273,110
मनोरंजन व्यय	-	342,505
हाउस कीपिंग व्यय	872,093	433,880
बैठक और सम्मेलन व्यय	-	374,164
सुरक्षा और सफाई व्यय	1,644,467	1,566,701
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	840,132	1,418,472
वार्षिक रख-रखाव शुल्क	168,390	909,803
वाहन व्यय	-	-
वाहन (टैक्सी) किराए पर लेने का खर्च	195,287	792,139
अन्य खर्चे	-	-
कुल	14,702,215	51,121,236

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2021-2022

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक - 8627101000348	यूजीसी-स्थापना और प्रशासन व्यय	125,696,661	92,905,464
2	केनरा बैंक - 8627101001130	ई-सामग्री	300,184,065	300,988,209
3	केनरा बैंक- 3525101000402	“पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति एससी / एसटी के लिए”	63,732	208,773
4	केनरा बैंक - 3525101000403	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ए/सी के लिए पीजी छात्रवृत्ति व्यावसायिक पाठ्यक्रम	6,198,495	2,905,520
5	केनरा बैंक - 3525101000404	विश्वविद्यालय बैंक के लिए पीजी छात्रवृत्ति	2,510,796	1,228,431
6	केनरा बैंक - 3525101000762	सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए एमेरिटस अध्येतावृत्ति	4,929,879	5,430,548
7	केनरा बैंक - 3525101000763	महिलाओं के लिए पोस्टडॉक्टरल अध्येतावृत्ति	461,460	2,970,425
8	केनरा बैंक - 3525101000764	“विज्ञान में जेआरएफ मानविकी और सामाजिक विज्ञान में नेट”	408,366,730	169,110,996
9	केनरा बैंक - 3525101000820	“डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति”	4,196,143	3,956,274
10	केनरा बैंक- 3525101000407	एकल कन्या बालिका के लिए इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	2,361,148	1,191,441
11	केनरा बैंक - 3525101000839	“बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति”	291,356	1,783,727
12	केनरा बैंक - 3525101000915	“स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति”	695,000	1,170,851
13	केनरा बैंक - 3525101000918	एनईआर के लिए ईशान उदय विशेष स्कॉलरशिप	29,067,947	38,205,195
14	केनरा बैंक- 3525101000907	“डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्टडॉक्टरल अध्येतावृत्ति”	48,600	646,266
15	केनरा बैंक - 3525101000405	आरजीएनएफ-एससी	130,100,225	259,034,411
16	केनरा बैंक - 3525101000406	आरजीएनएफ-एसटी	10,466,682	9,913,090
17	केनरा बैंक - 3525101000880	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	2,817,298	48,846,102
18	केनरा बैंक - 3525101000181	एमएनएफ - अल्पसंख्यक	5,967,622	41,866,425
19	केनरा बैंक - 0157101021093	अक्षय कोष	8,630,205	5,474,783
20	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022849	सीयू-एनईआर-एससी	50,594,213	52,249,983
21	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022850	सीयू-एनईआर-एसटी	30,316,739	33,275,447
22	बैंक ऑफ बड़ौदा - 05860100022853	सीयू-एनईआर-सामान्य	371,135,101	307,345,982
23	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003357	सीयू-एसटी	24,207,305	142,747,271
24	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003355	सीयू-सामान्य	841,787,216	2,390,203,459
25	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003356	सीयू-एससी	59,142,789	224,057,442
26	केनरा बैंक - 8627101002051	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	50,721,632	23,913,036
27	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- 3481469799	डीयू-एससी	7,878,786	8,115,408
28	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 3481469846	डीयू-जनरल	41,460,853	55,008,109
29	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 3481470363	डी यु-एस टी	8,181,806	11,907,458
30	केनरा बैंक - 8627101002122	यूजीसी-जनरल	1,974,936,562	1,194,641,184

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2021-2022

(राशि रुपये में)

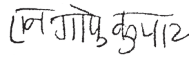
क्रम संख्या	बैंकों का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
31	केनरा बैंक - 8627101002123	यूजीसी-एससी	73,299,033	83,620,335
32	केनरा बैंक - 8627101002124	यूजीसी-एसटी	50,556,877	55,963,232
33	केनरा बैंक - 8627101002244	एनएडी	29,223,949	31,727,203
34	केनरा बैंक - 3525101001240	स्नातकोत्तर अनुसूची एमई /एम .टेक /एम .फार्मा से गए टीई /जीपीएटी योग्य उम्मीदवारों के लिए	4,236,212	456,149
35	केनरा बैंक - 3525101001241	बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	1,015,886	1,538,950
36	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286126815	एनईआर-सामान्य	80,726,246	459,464,893
37	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286127693	एनईआर-एससी	4,282,665	29,643,181
38	केनरा बैंक - 8627101002314	प्रतिष्ठित संस्थान	661,855,414	552,494,649
39	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286128018	एनईआर-एसटी	4,105,027	9,988,002
40	केनरा बैंक - 8627101002502	रैगिंग रोधी	329,947	26,080,059
41	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671201001	TSA	-	-
		टीएसए		
	कुल योग		5,413,048,300	6,682,278,364

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2021-2022

आरओ-खाता

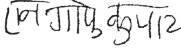
(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बैंकों का नाम	आरओ का नाम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	केनरा बैंक - 0606101053069	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	10,000
2	केनरा बैंक - 0606101558263	एसईआरओ -हैदराबाद	590,434	903,157
3	केनरा बैंक - 0606101560057	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	10,000
4	केनरा बैंक - 0606101560058	एसईआरओ -हैदराबाद	10,000	10,000
5	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301164	एसईआरओ -हैदराबाद	-	-
6	केनरा बैंक - 0262101020153	डब्ल्यूआरओ-पुणे	2,570,766	1,152,618
7	बैंक ऑफ बड़ौदा - 98060100001024	डब्ल्यूआरओ-पुणे	1,166,054	1,383,699
8	केनरा बैंक - 0262101060498	डब्ल्यूआरओ-पुणे	104,171	640
9	केनरा बैंक - 0262101060500	डब्ल्यूआरओ-पुणे	16,795	1,258
10	भारतीय रिजर्व बैंक- 10671301166	डब्ल्यूआरओ-पुणे	-	-
11	केनरा बैंक - 3122235725	एनईआरओ - गुवाहाटी	2,934,663	-
12	भारतीय स्टेट बैंक - 33916458208	एनईआरओ - गुवाहाटी	604,112	9,702
13	भारतीय स्टेट बैंक - 35909765460	एनईआरओ - गुवाहाटी	442,647	-
14	भारतीय स्टेट बैंक - 35909724423	एनईआरओ - गुवाहाटी	221,291	-
15	भारतीय रिजर्व बैंक 10671301219	एनईआरओ - गुवाहाटी	-	-
16	पंजाब नेशनल बैंक - 1625000100953235	ईआरओ -कोलकाता	1,360,465	2,139,649
17	केनरा बैंक - 2549101011380	ईआरओ -कोलकाता	5,292,667	8,239,556
18	केनरा बैंक - 2549101016202	ईआरओ -कोलकाता	10,000	10,000
19	केनरा बैंक - 2549101016203	ईआरओ -कोलकाता	10,000	10,000
20	केनरा बैंक - 2549101016204	ईआरओ -कोलकाता	10,000	10,000
21	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301165	ईआरओ -कोलकाता	-	-
22	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- 1101717823	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	527,283	676,305
23	केनरा बैंक - 0431101033961	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	1,746,450	3,812,250
24	केनरा बैंक - 0431101207736	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	9,984	79,903
25	केनरा बैंक - 0431101207737	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	4,583	4,583
26	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301163	एसडब्ल्यूआरओ -बैंगलोर	-	-
27	केनरा बैंक- 1471101007601	सीआरओ-भोपाल	191,780	1,641,414
28	केनरा बैंक - 1471101007602	सीआरओ-भोपाल	15,781	-
29	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 527102010003371	सीआरओ-भोपाल	7,353	-
30	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- 527102010314844	सीआरओ-भोपाल	1,642	-
31	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671301167	सीआरओ-भोपाल	-	-
	कुल		17,868,921	20,104,735
	कुल योग		5,430,917,221	6,702,383,099

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विभिन्न संस्थानों के लिए अनुदान सहायता का भुगतान 2021-2022

(राशि रुपये में)

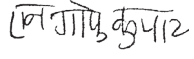
लेखा प्रमुख	योजना	मंत्रालयों	राशि
राजस्व पूंजी शीर्ष (1, 2, 3, 4)	राजस्व पूंजी कोष (यूजीसी मुख्यालय और आरओ)	शिक्षा मंत्रालय	135,010,763,694
कुल योग			135,010,763,694

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी उपयोग क्षेत्रवार (1-9)

(Amount in Rs.)

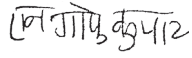
क्षेत्र	विवरण	राशि-31, 35, 36
क्षेत्र- 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	85,763,919,495
क्षेत्र- 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	4,579,769,903
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	44,551,873,732
क्षेत्र - 4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि	115,200,564
क	कुल एचआर डी (1, 2, 3, 4)	135,010,763,694
क्षेत्र - 5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,362,577,276
क्षेत्र - 6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	334,900
क्षेत्र - 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	781,544,184
क्षेत्र - 9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	603,556,410
ख	कुल(5, 6, 7, 9)	2,748,012,770
	कुल योग	137,758,776,464

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद क्षेत्रवार (1 से 9)

(राशि रुपये में)

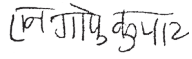
क्षेत्र	विवरण	शीर्ष -31	शीर्ष -35	शीर्ष -36	कुल
क्षेत्र - 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	23,894,229,922	6,477,004,353	55,392,685,220	85,763,919,495
क्षेत्र - 2	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	909,999,903	-	3,669,770,000	4,579,769,903
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	20,727,273,926	1,148,119,740	22,676,480,066	44,551,873,732
क्षेत्र - 4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि	115,200,564	-	-	115,200,564
क्षेत्र - 5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,362,577,276	-	-	1,362,577,276
क्षेत्र - 6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	334,900	-	-	334,900
क्षेत्र - 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	781,544,184	-	-	781,544,184
क्षेत्र - 9	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	603,556,410	-	-	603,556,410
	कुल	48,394,717,085	7,625,124,093	81,738,935,286	137,758,776,464

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र-1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान				
1(A)	केंद्रीय विश्वविद्यालय	17,997,449,184	1,299,213,675	42,479,321,016	61,775,983,875
1(B)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-अनुसूचित जाति	1,229,248,364	287,210,764	2,930,939,102	4,447,398,230
1(C)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-अनुसूचित जनजाति	636,629,045	134,144,948	1,485,044,754	2,255,818,747
1(D)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर	2,236,630,036	1,092,823,312	6,900,567,134	10,230,020,482
1(E)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-आईएन-एससी	145,025,584	72,429,948	474,079,642	691,535,174
1(६)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एनईआर -एसटी	74,421,889	35,344,886	237,469,034	347,235,809
1(G)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-जनरल	1,376,622,002	374,114,709	786,812,095	2,537,548,806
1(H)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एससी	104,482,952	23,449,394	56,360,341	184,292,687
1(I)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एसटी	43,522,475	12,199,792	26,447,420	82,169,687
1(J)	एपी-जनरल का सीयू	29,730,224	950,041,425	9,444,314	989,215,963
1(K)	एपी-एससी . का सीयू	-	134,800,000	82,895	134,882,895
1(L)	एपी-एसटी . का सीयू	-	55,100,000	-	55,100,000
1(M)	एपी और तेलंगाना के सीयू जनजातीय विश्वविद्यालय-सामान्य	18,830,064	79,868,998	5,194,196	103,893,258
1(N)	एपी और तेलंगाना के सीयू जनजातीय विश्वविद्यालय-एससी	1,029,293	3,616,000	814,289	5,459,582
1(O)	एपी और तेलंगाना के सीयू जनजातीय विश्वविद्यालय-एसटी	608,810	1,286,502	108,988	2,004,300
1(P) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-सामान्य	-	2,300,000	-	2,300,000
1(P) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एससी	-	924,139,000	-	924,139,000
1(P) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	298,506,000	-	298,506,000
1(Q) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-जनरल	-	642,301,000	-	642,301,000
1(Q) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-एससी	-	35,861,000	-	35,861,000
1(Q) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर)ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	18,253,000	-	18,253,000
	कुल (ए)	23,894,229,922	6,477,004,353	55,392,685,220	85,763,919,495
क्षेत्र-2	मानित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान				
2(A)	मानित विश्वविद्यालय	577,599,903	-	3,316,500,000	3,894,099,903
2(B)	मानित विश्वविद्यालय-अनुसूचित जाति	32,000,000	-	242,770,000	274,770,000
2(C)	मानित विश्वविद्यालय-अनुसूची जनजाति	300,400,000	-	110,500,000	410,900,000
	कुल (ख)	909,999,903	-	3,669,770,000	4,579,769,903
क्षेत्र-3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान				
3(A)					
3(A) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(A)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	39,074,937	83,753,333	-	122,828,270
3(A) 3(I)	आईयूसी/एमसी	468,371,575	528,096,292	569,601,127	1,566,068,994
3(A) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	114,779,849	1,520,000	390,981,110	507,280,959
3(A) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	14,549,000	-	30,013,000	44,562,000
3(A) 3(V)	विषय थीसिस का चुनाव (शोधगंगा)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	-	-	-	-
3(A) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	3,877,509,124	-	14,029,858,197	17,907,367,321
3(A) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रख-रखाव अनुदान	47,409,159	-	267,092,133	314,501,292
3(A) 5(III)	“ दिल्लीध्वीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के अलावा अन्य”	-	-	-	-
3(A)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय का रख-रखाव	-	-	1,962,190,000	1,962,190,000
3(A) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	97,897,473	-	97,897,473
3(A) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(A) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(A) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(A)(8) EG	समान अवसर प्रकोष्ठ	140,701	-	-	140,701
3(A)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	6,916,000	-	-	6,916,000
3(A)(8)(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	750,006	-	-	750,006
3(A)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(A)(8)(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	548,321	-	-	548,321
3(A)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(A)(8)(III) EG	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	579,453	-	-	579,453
3(A)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(A)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	10,698,911	-	-	10,698,911
3(A)(8)(VI)	युगपवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(A)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	149,658,252	-	-	149,658,252
3(A)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	59,601	-	-	59,601
3(A)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(A)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	रुट।स्म।
3(A) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला शिक्षण	74,514,594	-	-	74,514,594
3(A) 9 EG	महिला अध्ययन केंद्र / महिला शिक्षण	798,255	-	-	798,255
3(A) 10	खेल अवसरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	-	-	-
3(A) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 11 (II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	2,950,964	-	-	2,950,964
3(A) 11 (II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	39,927,413	-	-	39,927,413
3(A) 11 (III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(A) 12 (I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	26,427,430	-	-	26,427,430
3(A) 12 (II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	4,895,919	-	-	4,895,919
3(A) 12 (II) EG	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	124,415	-	-	124,415
3(A) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय /एचआरडीसी/एचआरवीई	339,627,070	-	-	339,627,070
3(A) 14 (I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	19,897,163	19,355,967	-	39,253,130
3(A) 14 (II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	13,895,410	2,939,046	-	16,834,456
3(A) 14 (III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	11,610,130	455,989	-	12,066,119
3(A) 14 (III) EG	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	3,610,000	3,344,000	-	6,954,000
3(A) 14 (IV)	मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव ट्रांस-अनुशासनात्मक अनुसंधान	-	-	-	-
3(A) 16 (I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	46,748,590	-	-	46,748,590
3(A) 16 (II)	एकल बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	148,028,799	-	-	148,028,799
3(A) 16 (III)	एमरेटिस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	936,792	-	-	936,792
3(A) 16 (IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	908,243	-	-	908,243
3(A) 16 (IV) EG	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	518,000	-	-	518,000
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	69,005,977	-	-	69,005,977
3(A) 16 (V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	613,060	-	-	613,060
3(A) 16 (V) EG	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति	1,974,780	-	-	1,974,780
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	6,841,523,583	-	-	6,841,523,583
3(A) 16 (VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	3,019,924	-	-	3,019,924
3(A) 16 (VII)	स्वामी विवेकानंद एकल बालिका संतान अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	92,501,621	-	-	92,501,621
3(A) 16 (VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	589,550	-	-	589,550
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	373,371,364	-	-	373,371,364
3(A) 16 (IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(A) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	282,335,065	-	-	282,335,065
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	85,856,189			
3(A) 16(X) EG	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	200,000	-	-	200,000
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(A) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (अनुसूचित जाति)	-	-	-	-
3(A) 16(XII)	गेट योग्य विद्यार्थियों के लिए एम.ई.धर्म.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	55,116,967	-	-	55,116,967
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	128,837,668	-	-	128,837,668
3(A) 16(XIII)	जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(A) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति।	-	-	-	-
3(A) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(A) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	1,907,367	-	-	1,907,367
3(A) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	36,548,247	-	-	36,548,247
3(A) 17(II) EG	अनुसंधान वैज्ञानिक	3,058,163	-	-	3,058,163
3(A) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	3,918,020	-	-	3,918,020
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	660,519	-	-	660,519
3(A) 17(III) EG	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	7,075,550	260,000	-	7,335,550
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	1,488,164	-	-	1,488,164
3(A) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(A) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	21,463,468	-	-	21,463,468
3(A) 18 EG	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	283,938,294	40,908,021	-	324,846,315
3(A) 18(II)	परमार्श	3,100,000	-	-	3,100,000
3(A) 18(II) EG	परमार्श	5,670,236	-	-	5,670,236
3(A) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(A) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(A) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(A) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(A) 19(V)	यात्रा अनुदान	621,453	-	-	621,453
3(A) 19(V) EG	यात्रा अनुदान	9,329,043	-	-	9,329,043
3(A) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(A) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-
3(A) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
3(A) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	150,000	-	-	150,000
3(A) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(A) 19(XI)	कार्यशालाएं/समिनार/सम्मेलन (महाविद्यालय)	1,863,578	-	-	1,863,578
3(A) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	6,564,068	-	-	6,564,068
3(A) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-
3(A) 19(XIII) EG	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	79,800	-	-	79,800
3(A) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(A) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(A) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(A) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	3,875,000	-	-	3,875,000
3(A) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	13,859,207	-	-	13,859,207
3(A) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(A) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(A) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(A) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	129,431	-	-	129,431
3(A) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	5,771,371	21,245,901	-	27,017,272
	आरओ	57,723,554			57,723,554
3(A) 19(XXIV) EG	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	33,714	-	-	33,714
3(A) 19(XXV)	जर्नल/देखभाल योजना	2,600,850	-	-	2,600,850
					-
	कुल	13,872,838,921	799,776,022	17,249,735,567	31,922,350,510
3(A)- ऑनलाइन योजनाएं		7,789,830,507	-	-	7,789,830,507
3(A)-आरओ		96,798,491	83,753,333	-	180,551,824
3(A)-ईजी		359,844,308	44,512,021	-	404,356,329
	उप योग	5,626,365,615	671,510,668	17,249,735,567	23,547,611,850
3(B)					
3(B) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(B)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	12,889,246	5,741,792	-	18,631,038
3(B) 3(I)	आईयूसीधूमसी	99,309,000	111,290,798	142,316,000	352,915,798

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	18,756,978	320,000	51,043,954	70,120,932
3(B) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	1,275,000		28,487,000	29,762,000
3(B) 3(V)	विषय थीसिस का चुनाव (शोधगंगा)				-
3(B)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान				-
3(B) 5(I)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	1,069,365,309		2,994,709,564	4,064,074,873
3(B) 5(II)	बीएच यू विश्वविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	10,322,986		146,054,000	156,376,986
3(B) 5(III)	“दिल्लीध्वीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के अलावा अन्य”				-
3(B)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव	-	-	295,140,000	295,140,000
3(B) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	1,273,175	1,245,600		2,518,775
3(B) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(B) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(B) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(B)(8) EG	समान अवसर प्रकोष्ठ	27,233	-	-	27,233
3(B)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	456,000	-	-	456,000
3(B)(8)(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	145,163	-	-	145,163
3(B)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(B)(8)(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	106,126	-	-	106,126
3(B)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(B)(8)(III) EG	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	112,152	-	-	112,152
3(B)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(B)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं म.ि. हलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	1,713,371	-	-	1,713,371
3(B)(8)(VI)	युगपवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(B)(8)(VI) EG	युगपवर्तक सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	178,083	-	-	178,083
3(B)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	33,348,064	-	-	33,348,064
3(B)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	58,780	-	-	58,780
3(B)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(B)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(B) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	20,840,828	-	-	20,840,828

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) 9 EG	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	327,597	-	-	327,597
3(B) 10	खेल अवसंरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	-	-	-
3(B) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(B) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	717,674	-	-	717,674
3(B) 11(II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	13,336,905	6,480,000	-	19,816,905
3(B) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(B) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(B) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
3(B) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय /एचआरडीसी/एचआरवीई	85,295,936	-	-	85,295,936
3(B) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	3,090,268	15,202,940	-	18,293,208
3(B) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	1,893,921	1,053,347	-	2,947,268
3(B) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	438,007	216,000	-	654,007
3(B) 14(III) EG	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	7,854,499	712,000	-	8,566,499
3(B) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(II)	एकल कन्या संतान के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(III)	एमरेटिस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	183,600	-	-	183,600
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	1,533,808,580	-	-	1,533,808,580
3(B) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना))	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(VII)	स्वामी विवेकानंद एकल बालिका संतान अध्येतावृत्ति(ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	585,600	-	-	585,600
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	53,977,686	-	-	53,977,686

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	10,607,026	-	-	10,607,026
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	70,897,000	-	-	70,897,000
3(B) 16(XII)	गेट योग्य छात्रों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(B) 16(XIII)	कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(B) 16(XIV)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति।	-	-	-	-
3(B) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(B) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	-	-	-	-
3(B) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(B) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क विज्ञान)	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	124,528	-	-	124,528
3(B) 17(III) EG	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क विज्ञान)	4,095	-	-	4,095
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	52,585	-	-	52,585
3(B) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(B) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(B) 18 EG	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	71,346,348	4,373,217	-	75,719,565
3(B) 18(II) EG	परमार्श	2,145,596	-	-	2,145,596
3(B) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(B) 19(II)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(B) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
3(B) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(B) 19(V)	यात्रा अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(B) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(B) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
3(B) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(B) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(B) 19(XI)	कार्यशालाएं/सम्मेलन/सम्मेलन (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(B) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	-	-	-
3(B) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	-	-	-	-
3(B) 19(XIII) EG	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन	16,800	-	-	16,800
3(B) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(B) 19(XV)	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-
3(B) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(B) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(B) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	750,000	-	-	750,000
3(B) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	-	-	-	-
3(B) 19(XX)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(B) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(B) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(B) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	388,523	28,226,434	-	28,614,957
					-
	कुल	3,128,020,268	174,862,128	3,657,750,518	6,960,632,914
3(B)-ऑनलाइन योजनाएं		1,658,683,266	-	-	1,658,683,266
3(B)-आरओ		12,889,246	5,741,792	-	18,631,038
3(B)ईजी		95,653,182	11,565,217	-	107,218,399
	उप योग	1,360,794,574	157,555,119	3,657,750,518	5,176,100,211
3(C)					
3(C) 1	प्रशासन यूजीसी	-	-	-	-
3(C)(2)	क्षेत्रीय कार्यालय	5,826,899	6,219,991	-	12,046,890
3(C) 3(I)	आईयूसीधर्मसी	51,298,130	20,866,853	41,052,000	113,216,983
3(C) 3(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	7,662,379	159,900	23,803,000	31,625,279
3(C) 3(IV)	राष्ट्रीय सुविधाएं केंद्र	1,375,136			1,375,136
3(C) 3(V)	वैकल्पित थीसिस का विषय (शोधगंगा)	-	-	-	-
3(C)(4)	मानित विश्वविद्यालयों को रखरखावअनुदान	-	-	-	-
3(C) 5(I)	दिल्ली के महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	467,751,491	-	1,499,416,491	1,967,167,982
3(C) 5(II)	बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	3,624,385	-	57,152,490	60,776,875

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(C) 5(III)	दिल्ली/बीएचयू महाविद्यालयों को रखरखावअनुदान के अलावा अन्य	-	-		-
3(C)(6)	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव	-	-	147,570,000	147,570,000
3(C) 7(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	636,587	2,158,800	-	2,795,387
3(C) 7(II)	विश्वविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा	-	-	-	-
3(C) 7(III)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	-	-	-
3(C) 7(IV)	महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा (आरओ)	-	-	-	-
3(C)(8) EG	समान अवसर प्रकोष्ठ	13,617	-	-	13,617
3(C)(8)(I)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	228,000	-	-	228,000
3(C)(8)(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	72,581	-	-	72,581
3(C)(8)(II)	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	-	-	-	-
3(C)(8)(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए नेट के लिए कोचिंग	53,063	-	-	53,063
3(C)(8)(III)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	-	-	-	-
3(C)(8)(III) EG	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं	56,076	-	-	56,076
3(C)(8)(IV)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(C)(8)(V)	अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	636,744	-	-	636,744
3(C)(8)(VI)	सामाजिक विचारक बनाने वाले युग पर विशेष अध्ययन	-	-	-	-
3(C)(8)(VI) EG	सामाजिक विचारक बनाने वाले युग पर विशेष अध्ययन	89,042	-	-	89,042
3(C)(8)(VII)	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र	15,015,386	-	-	15,015,386
3(C)(8)(VIII)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं	5,768	-	-	5,768
3(C)(8)(IX)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(C)(8)(X)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	-	-	-	-
3(C) 9	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	10,054,573	-	-	10,054,573
3(C) 9 EG	महिला अध्ययन केंद्र / महिला अध्ययन	163,800	-	-	163,800
3(C) 10	खेल अवसंरचना विकास और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए उपकरण	-	-	-	-
3(C) 11(I)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	-	-	-	-
3(C) 11(II)	उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय	310,628	-	-	310,628
3(C) 11(II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय	5,511,916	2,898,601	-	8,410,517

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(C) 11(III)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र	-	-	-	-
3(C) 12(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	-	-	-	-
3(C) 12(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
3(C) 13	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय /एचआरडीसी/एचआरवीई	37,044,794	-	-	37,044,794
3(C) 14(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	1,458,747	10,713,470	-	12,172,217
3(C) 14(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	823,863	1,214,231	-	2,038,094
3(C) 14(III)	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	219,004	108,000	-	327,004
3(C) 14(III) EG	अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (घटक-1)	1,383,178	356,000	-	1,739,178
3(C) 16(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(II)	एकल बालिका संतान के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(III)	एमरेटिस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	920,548	-	-	920,548
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(V)	“नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ रिसर्च अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)“	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	834,607,289	-	-	834,607,289
3(C) 16(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(VII)	स्वामी विवेकानंद एकल बालिका संतान अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(VIII)	डॉ. डी.एस. कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(ब) 16(घ)	“ एससीधएसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति“	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	5,635,388	-	-	5,635,388
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(XI)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	31,205,956	-	-	31,205,956
3(C) 16(XII)	गेट योग्य विद्यार्थियों के लिए एम.ई./एम.टेक के लिए पीजी छात्रवृत्ति।	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	-	-	-	-
3(C) 16(XIII)	कनिष्ठ रिसर्च फेलोशिप और विदेशी नागरिकों को आरए	-	-	-	-
3(C) 16(XIV)	मेधावी विद्यार्थियों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति।	-	-	-	-
3(C) 16(XV)	खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा।	-	-	-	-
3(C) 17(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	-	-	-	-
3(C) 17(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	-	-
3(C) 17(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं	-	-	-	-
	(क) विज्ञान	-	-	-	-
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(C) 17(IV)	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(C) 18	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	-	-	-	-
3(C) 18 EG	उच्चतर शिक्षा और सामुदायिक महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का परिचय (एनएसक्यूएफ)	39,401,342	1,766,180	-	41,167,522
3(C) 19(I)	यूजीसी द्वारा चिन्हित कम से कम दो अकादमियों के फेलो को विशेष मानदेय	-	-	-	-
3(C) 19(II)	विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(III)	स्वायत्त महाविद्यालय	-	-	-	-
3(C) 19(IV)	राजभाषा	-	-	-	-
3(C) 19(V)	यात्रा अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(VI)	पेटेंट के लिए आईपीआर जागरूकता और सुविधा को बढ़ावा देना	-	-	-	-
3(C) 19(VII)	पिहेड	-	-	-	-
3(C) 19(VIII)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
3(C) 19(IX)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	-	-	-	-
3(C) 19(X)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
3(C) 19(XI)	कार्यशालाएं/सेमिनार/धूमेलन (महाविद्यालय)	-	-	-	-
3(C) 19(XII)	अध्ययन का क्षेत्र	-	-	-	-
3(C) 19(XIII)	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए करियर अभिविन्यास	-	-	-	-
3(C) 19(XIII) EG	करियर काउंसलिंग सेल सहित शिक्षा के लिए करियर अभिविन्यास	8,400	-	-	8,400
3(C) 19(XIV)	ई-सामग्री विकास	-	-	-	-
3(C) 19(XV)	उच्च शिक्षा और यूजीसी कार्यालय का ई-गवर्नेंस	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(C) 19(XVI)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यूजीसी अधिकारियों के अक.। दमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण	-	-	-	-
3(C) 19(XVII)	यूजीसी परिसर	-	-	-	-
3(C) 19(XVIII)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्रों की स्थापना	375,000	-	-	375,000
3(C) 19(XIX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	-	-	-	-
3(C) 19(XX)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण	-	-	-	-
3(C) 19(XXI)	मानित विश्वविद्यालयों को ओबीसी अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(XXII)	बीआरपीजी के लिए वित्तीय सहायता	-	-	-	-
3(C) 19(XXIII)	वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	-	-	-
3(C) 19(XXIV)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	194,263	14,143,177	-	14,337,440
	कुल	1,523,663,973	60,605,203	1,768,993,981	3,353,263,157
3(C)-ऑनलाइन योजनाएं		865,813,245	-	-	865,813,245
3(C)-आरओ		5,826,899	6,219,991	-	12,046,890
3(C)-ई जी		46,753,015	5,020,781	-	51,773,796
	उप योग	605,270,814	49,364,431	1,768,993,981	2,423,629,226
3(D)	एनईआर के लिए विशेष घटक				
3(D)	यूजीसी (एनईआर) प्रधान कार्यालय	57,654,849	20,784,668	-	78,439,517
	ई जी	25,552,140	2,893,294	-	28,445,434
	नीरो	11,776,118	60,861,420	-	72,637,538
	ऑनलाइन	1,543,979,084	-	-	1,543,979,084
	उप योग	1,638,962,191	84,539,382	-	1,723,501,573
3(E)	एनईआर-एससी के लिए विशेष घटक				
3(E)	यूजीसी (एनईआर) एससी प्रधान कार्यालय	14,017,906	4,287,950	-	18,305,856
	ई जी	14,988,476	2,080,000	-	17,068,476
	नीरो		11,360,680	-	11,360,680
	ऑनलाइन	342,999,824	-	-	342,999,824
	उप योग	372,006,206	17,728,630	-	389,734,836
3(F)	एनईआर-एसटी के लिए विशेष घटक				
3(F)	यूजीसी (एनईआर) एसटी प्रधान कार्यालय	7,644,184	2,143,975	-	9,788,159
	ई जी	8,637,771	1,400,000	-	10,037,771
	नीरो		7,064,400	-	7,064,400
	ऑनलाइन	175,500,412	-	-	175,500,412
	उप योग	191,782,367	10,608,375	-	202,390,742
	कुल योग (ग)	20,727,273,926	1,148,119,740	22,676,480,066	44,551,873,732
क्षेत्र-4	एमएचआरडी द्वारा जारी विशिष्ट निधि				
4(I)	सामाजिक संरचना विकास निधि	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राजस्व पूंजी मद का विवरण

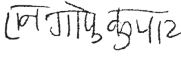
(राशि रुपये में)

शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
4(II)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन	-	-	-	-
4(III)	एमएचआरडी इंडो-यूएस 21वीं सदी ज्ञान पहल द्वारा जारी विशिष्ट निधि	5,200,564	-	-	5,200,564
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (सामान्य)	110,000,000	-	-	110,000,000
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एससी)	-	-	-	-
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एसटी)	-	-	-	-
	कुल (घ)	115,200,564	-	-	115,200,564
	उप कुल (क, ख ग एवं घ)	45,646,704,315	7,625,124,093	81,738,935,286	135,010,763,694
क्षेत्रा-5	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	1,362,577,276	-	-	1,362,577,276
क्षेत्रा-6	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	334,900	-	-	334,900
क्षेत्रा-7	“मौलाना आजाद अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति				
“	781,544,184	-	-	781,544,184	
क्षेत्रा-9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	603,556,410	-	-	603,556,410
	कुल (ड)	2,748,012,770	-	-	2,748,012,770
	कुल योग (क -ड)	48,394,717,085	7,625,124,093	81,738,935,286	137,758,776,464

स्थान :

दिनांक :


(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव


(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव


(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खाता

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते

(राशि रुपये में)

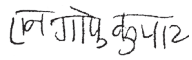
प्राप्तियां	2021-2022	2020-2021	भुगतान	2021-2022	2020-2021
प्रारंभिक शेष			जीपीएफ अग्रिमधनिकासी	203,354,303	176,696,802
बैंक	8,916,971	27,233,640			
जमा खाता एफडीआर	402,400,000	413,500,000			
सरकारी प्रतिभूतियां	230,340,000	230,340,000			
सीपीएफ सदस्यता	93,618,273	93,665,900			
सीपीएफ सदस्यता	-	-	अंतिम शेष		
“सीपीएफ सरकार					
योगदान“	-	-	बैंक	7,054,776	8,916,971
“सीपीएफ सरकार					
योगदान“	-	-	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	230,340,000	230,340,000
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	324,200,000	402,400,000
वचत बैंक पर ब्याज	307,700	1,038,268			
एफडीआर पर ब्याज	10,552,242	33,762,072			
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893			
यूजीसी स्थापना खाते से प्राप्त ब्याज सब्सिडी	-	-			
कुल	764,949,079	818,353,773	कुल	764,949,079	818,353,773

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सामान्य भविष्य निधि खातो तुलन पत्रा- 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

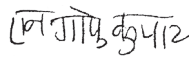
देयताएं	2021-2022	2020-2021	परिसंपत्तियाँ	2021-2022	2020-2021
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	633,609,852	671,073,640	सावधि जमा में	324,200,000	402,400,000
घटा : निकासी में समायोजन	-	-	सरकारी प्रतिभूतियों में	230,340,000	230,340,000
जमा: वर्ष में अंशदान	93,618,273	93,665,900	उपार्जित ब्याज	27,007,703	16,597,498
जमा : ब्याज जमा	40,870,887	45,567,114			
घटा: अग्रिम/आहरण	203,354,303	176,696,802			
			रोकड़ शेष		
अंतिम शेष	564,744,709	633,609,852	बैंक शेष	7,054,776	8,916,971
प्रारंभिक शेष	24,644,617	30,299,393		-	-
जमा: व्यय से अधिक आय	-786,847	-5,654,776		-	-
जमा: प्रारंभिक शेष राशि अर्जित ब्याज	-	-			
अंतिम शेष	23,857,770	24,644,617		-	-
चालू देयता					
कुल	588,602,479	658,254,469	कुल	588,602,479	658,254,469

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सामान्य भविष्य निधि खाता
आय और व्यय खाता 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

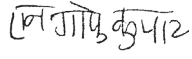
व्यय	2021-2022	2020-2021	आय	2021-2022	2020-2021
ब्याज क्रेडिट किया गया:			निवेश पर अर्जित ब्याज	20,962,447	20,060,177
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893
जीपीएफ खाता	40,870,887	45,567,114	बचत बैंक खाते पर ब्याज	307,700	1,038,268
सीपीएफ खाता	-	-	यूजीसी स्थापना खाते से प्राप्त ब्याज सब्सिडी		
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-		-	-
एनपीएस टियर- II खाता	-	-			
व्यय से अधिक आय	-	-	आय से अधिक व्यय	786,847	5,654,776
कुल	40,870,887	45,567,114	कुल	40,870,887	45,567,114

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

प्राप्तियां और भुगतान खाते 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

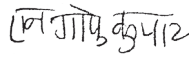
प्राप्तियां	2021-2022	2020-2021	भुगतान	2021-2022	2020-2021
प्रारंभिक शेष			एनएसडीएल को किया गया भुगतान	18,043,088	257,435
बैंक	113,097	354,431	शुल्क के लिए एनएसडीएल को किया गया भुगतान	36,159	-
जमा खाता एफडीआर	-	-			
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-			
एनपीएस सदस्यता	17,984,505	-			
			अंतिम शेष		
			बैंक	27,129	113,097
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	-	-
बचत बैंक पर ब्याज	8,774	16,101			
एफडीआर पर ब्याज	-	-			
कुल	18,106,376	370,532	कुल	18,106,376	370,532

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपिकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

तुलन पत्रा 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

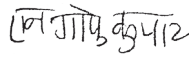
देयताएं	2021-2022	2020-2021	परिसंपत्तियाँ	2021-2022	2020-2021
			निवेश		
प्रारंभिक शेष	71,129	328,564	सावधि जमा में	-	-
घटा: निकासी में समायोजन	-	-			
जमा: वर्ष में सदस्यता	17,984,505	-			
जमा: ब्याज क्रेडिट					
घटा: एनएसडीएल में स्थानांतरण	18,043,088	257,435			
			अंतिम शेष		
अंतिम शेष	12,546	71,129	बैंक शेष	27,129	113,097
प्रारंभिक शेष	41,968	25,867			
जमा: व्यय से अधिक आय	-27,385	16,101			
अंतिम शेष	14,583	41,968			
कुल	27,129	113,097	कुल	27,129	113,097

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
एनपीएस खाता
आय और व्यय खाता 31 मार्च, 2022

(राशि रुपये में)

व्यय	2021-2022	2020-2021	आय	2021-2022	2020-2021
ब्याज जमा किया गया:			निवेश पर अर्जित ब्याज		
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		
एनपीएस खाता	-	-	बचत बैंक खाते पर ब्याज	8,774	16,101
सीपीएफ खाता	-	-			
विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	-	-			
एनएसडीएल शुल्क	36,159	-			
व्यय से अधिक आय	-	16,101	आय से अधिक व्यय	27,385	-
कुल	36,159	16,101	कुल	36,159	16,101

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 23

सिद्धांत लेखा नीतियां

1. लेखा

- क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर और आम तौर पर लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- ख) अव्ययित अनुदानों की वापसी लेखा सभी प्राप्तियों के नकद आधार पर किया जाता है।

2. अनुदान सहायता

अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है और पूंजीगत प्रकृति के व्यय की सीमा को छोड़कर आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है यजो राशि सीधे पूंजी निधि में जमा की जाती है। छुट्टी मुफ्त में प्राप्त कोई भी गैर-मौद्रिक अनुदान रु. 1/- की मामूली राशि पर परिलक्षित होता है।

3. अचल संपत्ति और मूल्यह्रास

क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी खातों के मानकीकरण के नए प्रारूप में प्रदान की गई सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया गया है। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि या कमी (बिक्री) के संबंध में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, चाहे जोड़ या कमी की तारीख कुछ भी हो। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से निम्नलिखित दरों पर लगाया गया है :-

(क) फर्नीचर एवं फिक्सचर	7.5%
(ख) विद्युतीय उपकरण	5.0%
(ग) कंप्यूटर सहायक उपकरण	20%
(घ) पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	10%
(ङ) मोटर गाड़ी	10%
(च) कार्यालय उपकरण	7.5%
(छ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%

4. सभी जमाओं/नवेशों पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

5. कर्मचारियों का वेतन/लाभ

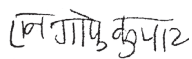
- क) केंद्र सरकार के कर्मचारी सेवा नियम कुल मिलाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।
- ख) कर्मचारियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए ए.परिषद ने बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार परिषद ने रु.49,49,081/- ग्रेजुटी के लिए रु.87,52,03,701/- पेंशन के लिए और रु.2,29,16,538/- छुट्टी नकदीकरण के लिए आय और व्यय खाते में व्यवस्था रखी है। इस अतिरिक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आय और व्यय खाते में 89,31,71,158/- रुपये का आय से अधिक व्यय हुआ है।

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24

खातों के लिए टिप्पणियां

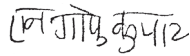
1. संसद द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुदान यूजीसी की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। यद्यपि प्राप्त अनुदान (पूँजीगत प्रकृति के व्यय के समायोजन के बाद) को आय और व्यय खाते में ले लिया जाता है। यूजीसी की प्रभावी आय प्रतिबंधों के आलोक में शून्य है कि सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान की अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार यह किसी भी आयकर देयता को देय नहीं करता है।
2. जिस भवन में यूजीसी स्थित है वह भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से संबंधित है। यूजीसी इस संपत्ति का पट्टेदार है और इसे 17-06-1960 को शून्य किराए के साथ आवंटित किया गया था। यूजीसी इस इमारत का रखरखाव करता है और इसके संपत्ति कर का भुगतान करता है।
3. अधिशेष निधि अस्थायी रूप से अनुसूची बैंक के पास रखी जाती है। किसी भी समय राशि के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग ने पहली बार जीपीएफ के लिए अलग तुलन पत्र बनाया। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, इसे मुख्य वित्तीय विवरण के साथ मिला दिया गया था। इसलिए जीपीएफ की अलग तुलन पत्र में कोई प्रारंभिक शेष राशि नहीं ली गई थी।
5. सीएजी द्वारा जारी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट टीम ने बताया कि आयोग किसी विशेष वित्तीय वर्ष में मार्च के वेतन का लेखा-जोखा नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयोग वेतन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष मार्च से फरवरी तक ले रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग ने मार्च के वेतन का हिसाब रखा है और इसलिए इस विशेष वित्तीय वर्ष में तेरह महीने का वेतन लिया गया है।
6. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार भारत सरकार ने आयोग का एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) खोला जिसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च को खाते में जो भी शेष राशि खर्च नहीं हुई है, उसे सरकारी प्राधिकारी या फंडिंग एजेंसियों को व्यपगत कर दिया गया है। तदनुसार 31-03-2022 की स्थिति के अनुसार आयोग के पास रु. 2,12,96,656/- टीएसए खाते में जो 31 मार्च के दिन के अंत में स्वचालित रूप से सरकारी खातों में समाप्त हो जाता है। अतः उक्त खाते का समापन शेष शून्य हो जाता है।
7. आयोग विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करता है। 31 मार्च, 2022 के दिन तक जारी की गई कुल राशि में से रु. 189,67,21,243/- का उपयोग नहीं किया गया था। यह अप्रयुक्त शेष राशि सरकारी प्राधिकारियों या वित्त पोषण एजेंसियों को व्यपगत करा दी गई थी।
8. सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान किया गया कुल अग्रिम राशि रु. 9,35,92,832/- जिसमें रु. शून्य वर्ष 2021-2022 के दौरान अग्रिम के रूप में था, जिसके विपरीत सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त व्यय विवरण और रिफंड शून्य है और 31/03/2022 को शुद्ध बकाया राशि रु. 9,35,92,832/- है।
9. किए गए और वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए अग्रिमों को संबंधित पार्टी/विभाग से अंतिम बिल/प्राप्ति की प्राप्ति पर खाते के अंतिम शीर्ष में समायोजित/वसूली किया जाता है।
10. अन्य
क) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए प्राप्तियों और भुगतानों सहित खातों और अनुसूची के वित्तीय विवरणों में जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को पुनरु समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
ख) वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को निकटतम भारतीय रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

1. आकस्मिक देयताएं

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राशि के खिलाफ अदालत और अन्य मामलों के संबंध में देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

क) संगठन की पूंजी प्रतिबद्धता- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र की अनुसूची के अनुसार पूंजी कॉर्पस फंड में दिखाया गया है।

3. चालू संपत्ति और अग्रिम

क) चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का गतिविधियों के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

स्थान :

दिनांक :



(पी. एन. गुप्ता)
अवर सचिव



(डॉ. एन. गोपुकुमार)
संयुक्त सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव



सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

ए.एम.जी-III/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-54/2022-23/

दिनांक: .11.2022

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय: वर्ष 2021-22 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय,

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2021-22 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीया

संलग्नक: यथोपरि

— ६६९१ —

निदेशक (ए.एम.जी-III)

✓ प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी-III)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी-III)

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के लेखों पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की संलग्न तुलन पत्रों, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते की महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत लेखा परीक्षा की है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 (3) के साथ पठित नियंत्रक के अधीन की गई है। इन वित्तीय विवरणों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते शामिल हैं। इनमें से तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई है और इस रिपोर्ट के लिए टिप्पणियों पर विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर शामिल किया गया है। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को मोटे तौर पर भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके आठ इंटर यूनिवर्सिटी केंद्रों द्वारा उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

भाग- क

क. तुलन पत्र

क.1 संपत्ति

क.1.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8)- रु. 15.58 करोड़

मई 2013 में, यूजीसी ने जाकिर हुसैन महाविद्यालय के लिए बहुमंजिला शैक्षणिक टॉवर के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत रु. 67.97 करोड़ थी। नवंबर 2021 में महाविद्यालय ने यूजीसी से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 68.00 करोड़ से रु. 95.50 करोड़ तक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया, और सहायता अनुदान राशि पर अर्जित व्याज का बहुमंजिली शैक्षणिक मीनार के निर्माण हेतु अनुदान के भाग के रूप में 18 करोड़ करने के लिए अनुरोध किया।

यूजीसी ने जनवरी 2022 में महाविद्यालय से रुपये 12.50 करोड़ (स्वीकृत सहायता अनुदान के 5.50 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद जो कॉलेज को जारी किया जाना था) की ब्याज राशि वापस करने को कहा। यूजीसी ने ऋण, अग्रिम और जमा के तहत और वर्तमान देनदारियों के तहत कॉलेज से प्राप्त 12.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता पर ब्याज आय के रूप में भारत सरकार को वापस किया जाना है, की ब्याज राशि नहीं दिखाई। इसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमा राशियों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को रु. 12.50 करोड़ न्यूनतम दर्शाया गया है।

ख. अनुदान सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान खातों के अनुसार, यूजीसी को ₹ 13850.43 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ 1685.45 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, ₹ 467.21 करोड़ का अव्ययित शेष था, ₹ 262.29 करोड़ के अनुदान प्राप्त संस्थानों से रिफंड और ₹ 32.26 करोड़ की आय। कुल ₹ 14612.19 करोड़ की निधि में से ₹ 191.80 करोड़ व्यपगत हो चुके थे तथा ₹ 442.45 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए गए थे। इसने ₹ 13620.59 करोड़ (पूँजी - ₹ 0.51 करोड़, राजस्व - ₹ 119.00 करोड़ अनुदान - ₹ 13501.08 करोड़) का उपयोग किया, जिससे ₹ 357.36 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।

2021-22 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ:

(क) अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ₹ 122.40 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ शून्य) की सहायता अनुदान और ₹ 25.90 करोड़ की शुरुआती शेष राशि थी। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹ 0.96 करोड़ भी मिले। ₹ 149.27 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने ₹ 136.26 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 13.01 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

(ख) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ₹ 55.55 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ शून्य) की सहायता अनुदान और ₹ 4.88 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹ 0.20 करोड़ भी मिले। ₹ 60.64 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने ₹ 60.36 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 0.28 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

(ग) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए ₹ 74.00 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ 9.00 करोड़) की सहायता अनुदान और ₹ 4.19 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹ 0.56 करोड़ भी मिले। ₹ 78.75 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने ₹ 78.15 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 0.60 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

(घ) यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास ₹ 0.99 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹ 0.08 करोड़ भी मिले। ₹ 1.08 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने ₹ 0.03 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 1.05 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।

भाग- ख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के तहत नौ अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की थी, जैसे अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली, शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी) नई दिल्ली, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसीएए) पुणे, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लबनेट) गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) बेंगलुरु, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यूजीसी-डीईई कंसोर्टियम (सीएसआर), इंदौर, शिक्षक

शिक्षा के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर (आईयूसीटीई) बीएचयू, वाराणसी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन टीचर एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (काकीनाडा) और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु। इनमें से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन टीचर एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ने काम करना शुरू नहीं किया था। वर्ष 2021-22 के लिए शेष आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के खातों का प्रमाणन ऑडिट वर्ष 2021-22 के लिए यूजीसी के प्रमाणन ऑडिट के साथ-साथ सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत किया गया था।

इन केंद्रों के खातों पर टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली

क. आय और व्यय खाता

क.1 आय

क.1.1 अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)-रु. 56.18 करोड़

आईयूएसी ने अनुदान से मिलने वाले राजस्व व्यय को उपलब्ध अनुदान 51.74 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान: 45.49 करोड़ रुपये + प्रारंभिक शेष: 6.28 करोड़ – यूजीसी को वापस: 0.03 करोड़ रुपये) सरकार से प्राप्त वास्तविक अनुदान तक सीमित करने के बजाय इस अनुसूची में संपूर्ण राजस्व व्यय 56.18 करोड़ रुपये दिखाया है।

इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अनुसूची में रुपये 4.44 करोड़ परिणामी पूंजीगत निधि के अतिकथन के साथ और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके-अनुपयोगित सहायता अनुदान रु. 4.44 करोड़ (10.18 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त पूंजी अनुदान 4.44 करोड़ रुपये के घाटा राजस्व अनुदान के साथ शुद्ध किया गया है और शेष 5.74 करोड़ रुपये खातों में अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दिखाया गया है) से अधिक अनुदान/सब्सिडी का चित्रण हुआ है।

ख. सामान्य

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति और उस पर निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाना है। हालांकि, इसे लिखित डाउन वैल्यू और विभिन्न दरों पर लगाया गया है, जिससे शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन होता है।

ग. अनुदान सहायता

लेखों के अनुसार आईयूएसी को 2021-22 के दौरान 53.29 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.80 करोड़ रुपये और राजस्व 45.49 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें 14.27 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.99 करोड़ रुपये और राजस्व 6.29 करोड़ रुपये) की शुरुआती शेष राशि थी। इसने 61.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया (पूँजी: 5.61 करोड़ रुपये, राजस्व: 56.18 करोड़ रुपये और यूजीसी को वापसी: 3.16 लाख) 5.74 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि। 31 मार्च 2022 तक (पूँजी: 10.18 करोड़ रुपये और राजस्व: (-) 4.44 करोड़ रुपये)। यह पैरा प्रेक्षण संख्या बी.1.1 के अधीन है।

2. शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी), नई दिल्ली

क. तुलन पत्र

क.1 संपत्ति

क.1.1 निवेश - अन्य (अनुसूची -6) -रु 5.87 करोड़

सीईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान 2.38 करोड़ रुपये के एफडीआर का नवीनीकरण किया, जिसमें 2.25 करोड़ रुपये का मूलधन और 13.19 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। हालांकि, निवेश (अनुसूची 6) में, 2.25 करोड़ रुपये की एफडीआर राशि 2021-22 में दिखाई गई है, जबकि 31 मार्च 2022 को वास्तविक एफडीआर 2.38 करोड़ रुपये थी। पुनर्निवेशित ब्याज आय रु. 13.19 लाख भी खातों में परिलक्षित नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप आय और निवेश में 13.19 लाख रुपये की कमी आई है।

क.1.2 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची-8) - रु.64.08 करोड़

(i) उपरोक्त में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें 'यूजीसी से अर्जित कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ' के रूप में दिखाया गया है, जो पिछले वर्षों के लिए रु. 20.34 करोड़ और चालू वर्ष के लिए रु. 2.61 करोड़, यूजीसी से बिना किसी मंजूरी/अनुमोदन के।

खातों के समान प्रारूप के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के सभी प्रावधानों को अनुसूची 15 के माध्यम से आय और व्यय खाते में शामिल करना आवश्यक है। आई एवं ई खाते के किसी भी अधिशेष/घाटे को बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में समायोजित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान के गलत चित्रण के परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों और पूंजी निधि को रु. 22.95 करोड़ अधिक दर्शया गया है। यह वर्ष 2020-21 के लिए एसएआर में इंगित किया गया था लेकिन सीईसी द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) सीईसी ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई को 2011 में 1.81 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया। यह राशि खातों में चालू संपत्ति के तहत दिखाई जाती है। हालांकि, एनआईसीएसआई पत्र दिनांक 02.03.2021 के अनुसार, रुपये 1.81 करोड़ के अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद, एनआईसीएसआई के प्रति 0.07 करोड़ रुपये की देनदारी है। सीईसी ने न तो रुपये 1.81 करोड़ के अग्रिम भुगतान को समायोजित किया है और न ही खातों में 0.07 करोड़ रुपये का कोई प्रावधान किया। इसके कारण ऋणों और अग्रिमों को रु. 1.81 करोड़ से अधिक, व्यय को 1.88 करोड़ रुपये से कम और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को 0.07 करोड़ रुपये से कम करके दर्शया गया है।

ख. अनुदान सहायता

सीईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /एमएचआरडी से 32.84 करोड़ रुपये का अनुदान सहायता प्राप्त की और 64.45 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि थी। इसे वर्ष के दौरान रु.0.76 करोड़ का ब्याज और अन्य आय प्राप्त हुई। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 98.05 करोड़ में से , इसने रु 18.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया एवं 31 मार्च 2022 तक की अव्ययित शेष राशि 80.01 करोड़ रुपये को छोड़कर।

3. खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसीएए) पुणे,

क. अनुदान सहायता

आईयूसीएए को 48.19 करोड़ रुपये (वेतन 16.18 करोड़ रुपये (ओएच 36), पूंजी 12.00 करोड़ रुपये (ओएच 35) और गैर-वेतन 20.00 करोड़ रुपये (ओएच 31)) का अनुदान सहायता प्राप्त हुई है और 21.01 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के ऑडिट प्रमाण पत्र के अनुसार) (वेतन के तहत 8.31 करोड़ रुपये (ओएच 36), गैर-वेतन के तहत 2.94 करोड़ रुपये और पूंजी के तहत 9.76 करोड़ रुपये) का अप्रयुक्त अग्रेषित शेष है। इसके अलावा आईयूसीएए IUCAA ने 0.34 करोड़ रुपये (वेतन रु. 0.74 लाख (ब्याज), पूंजी रु. 0.71 लाख (ब्याज) और गैर-वेतन रु. 32.98 लाख (आईआरजी)) अनुदान के विरुद्ध की आंतरिक आय अर्जित की है। इस प्रकार, संस्थान के पास उपलब्ध कुल निधि रु. 69.54 करोड़ (वेतन 24.50 करोड़ रुपये, पूंजी 21.77 करोड़ रुपये और गैर-वेतन 23.27 करोड़ रुपये) जिसमें से संस्थान ने रुपये 50.28 करोड़ (वेतन 20.89 करोड़ रुपये, पूंजी 8.49 करोड़ रुपये और गैर वेतन 20.89 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। संस्थान ने 0.15 करोड़ रुपये (वेतन पर ब्याज 0.74 लाख रुपये, पूंजी पर ब्याज 0.71 लाख रुपये, और गैर-वेतन (आईआरजी) 13.93 लाख रुपये) की आंतरिक आय को व्ययगत/समर्पण कर दिया है। इस प्रकार, वर्ष के अंत में 31.03.2022 तक अप्रयुक्त शेष अनुदान रु. 19.11 करोड़ (वेतन 3.6 करोड़ रुपये, पूंजी 13.27 करोड़ रुपये और गैर-वेतन 2.24 करोड़ रुपये) रहा।

इस प्रकार, पूर्व तुलन पत्र के अनुसार क्लोजिंग बैलेंस और प्रमाणित खातों के बीच 4.00 लाख रुपये का अंतर वर्तमान वर्ष के खातों के दौरान भी होते रहे, जिन्हें समेटने और सुधारने की आवश्यकता है।

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लिबनेट) गांधीनगर

क. अनुदान सहायता

इन्फ्लिबनेट को 2021-22 के दौरान रु. 11.51 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त हुई। जिसमें से इसने रु. 10.80 करोड़ रुपये का उपयोग किया, 31 मार्च 2022 तक 71.32 लाख के अप्रयुक्त सहायता अनुदान को छोड़कर।

5. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) बेंगलुरु

क. तुलन पत्र

क.1 संपत्ति

क.1.1 अचल संपत्ति (अनुसूची 3) - रु. 21.78 करोड़

उपरोक्त में आईसीटी समर्थित सेवाओं और ई-गवर्नेंस के संबंध में 3.96 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। आईसीटी के मॉड्यूल को वर्ष 2017 से विभिन्न वर्षों में लागू किया गया और उपयोग में लाया गया। हालांकि, कमीशन के बाद से कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप 3.11 करोड़, (चालू वर्ष मूल्यहास: रु. 4.15 लाख और पिछले वर्षों में मूल्यहास: रु. 3.07 करोड़) परिणामी अचल संपत्तियों और पूंजीगत निधि को रु. 3.11 करोड़ रुपये से मूल्यहास को कम किया गया है।

ख. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों के लिए टिप्पणी

लेखों के लिए टिप्पणी नंबर 7 के अनुसार, कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेखों के लिए यह टिप्पणी शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को निर्धारित करता है।

ग. अनुदान सहायता

नैक को वर्ष के दौरान 13.45 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मिला जिसका पूर्ण उपयोग किया गया।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ (सीएसआर), इंदौर, मध्य प्रदेश

क. सामान्य

केंद्र ने मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक वेतन बुक किया है। मार्च 2022 के महीने के लिए वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के उल्लंघन में है जो यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी खर्चों का उस वर्ष में अपने आप हिसाब किया जाना चाहिए।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, यूजीसी, डीएई, कंसोर्टियम को 43.50 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास 11.68 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था।

इस प्रकार कुल उपलब्ध निधियों में से रु. 55.18 करोड़ रुपये की राशि में से 50.13 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था जिसके कारण 31 मार्च 2022 तक 5.05 करोड़ अप्रयुक्त शेष रह गई। वर्ष के दौरान अर्जित और वापस किया गया ब्याज, यूजीसी में शीर्ष -35 के तहत दिखाए गए पूंजी अनुदान को छोड़कर समान है जिसमें अर्जित

ब्याज 12.55 लाख रुपये है और वापसी ब्याज 14.85 लाख रुपये दिखाया गया है जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए 2.30 लाख रुपये का प्रोद्भवन ब्याज शामिल है।

हालांकि, 2.26 करोड़ रुपये का अग्रिम एवं पूंजी एवं राजस्व अनुदान के प्रति 0.74 करोड़ रुपये का उपयोग संस्थान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र में दर्शाया गया है।

7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

क. तुलन पत्र

क.1. देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 2) - रु 93.87 लाख

सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को जारी सहायता अनुदान के सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। आईयूसीवाईएस ने रु 4.19 लाख का ब्याज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित किया (2019-20: 0.25 लाख रुपये, 2020-21: 2.35 लाख रुपये और 2021-22: 1.59 लाख रुपये) जो न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस किया गया था और न ही इसके लिए बनाये गए खातों में इसकी देयता थी। वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि को संबंधित वर्ष के खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रु. 4.19 लाख से अधिक बताया गया है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था लेकिन आईयूसीवाईएस द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. अनुदान सहायता

आईयूसीवाईएस को 2021-22 के दौरान 55.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसका शुरुआती बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को रु. 55.70 लाख था। कुल निधि में से रु 111.20 लाख, इसने 17.53 लाख रुपये का उपयोग किया। 31 मार्च 2022 तक 93.67 लाख की अव्ययित शेष राशि छोड़कर।

8. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, वाराणसी (केंद्र)।

क. तुलन पत्र

क.1. देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 3)- रु. 38.68 लाख

उपरोक्त में अप्रयुक्त अनुदान सहायता राशि के लिए 37.41 लाख रुपये की देयता शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि रु 37.41 लाख को अधिक दर्शाया गया है।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र ने 32.85 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया, 7.85 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त किया और 9.24 लाख रुपये की आंतरिक आय अर्जित की। 1 अप्रैल 2021 को इसमें 2.62 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था, जिसमे 35.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 35.06 करोड़ रुपये की शेष राशि छोड़कर 58.07 लाख रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से 31. 3. 2022 शेष रही।

प्रबंधन पत्र : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को अलग से जारी एक पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान के ध्यान में लाया गया है।

v पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के अनुरूप हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है:

क) जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा

ख) जहां तक यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी-डीईई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर, इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली के संबंध में घाटे के आय और व्यय खाते से संबंधित है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली, इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनाॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) पुणे और इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस) बेंगलुरु, और नेशनल प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु के मामले में अधिशेष उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यांकन से संबंधित हैं।

भारत के सीएजी के लिए और उसकी ओर से

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कमजोर है

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है, लेकिन विंग में कोई नियमित अधिकारी नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या की पहचान नहीं की गई है।
- पीआर शिक्षा मंत्रालय का खाता कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आंतरिक ऑडिट कभी नहीं किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार मजबूत करने की आवश्यकता है:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर अनावर्ती व्यय के लिए अगस्त 2008 में लक्ष्मीबाई महाविद्यालय को रु. 859.00 लाख स्वीकृत की। महाविद्यालय अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपयोग अनुसूची को समय-समय पर बढ़ाया (नवीनतम सितंबर 2021 तक)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चूक/वापसी से बचने के लिए मार्च 2019 में महाविद्यालय ने अनुदान की सभी शेष राशि रुपये 13.01 करोड़ (अर्जित व्याज सहित) पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दी हालांकि काम शुरू होना बाकी था। इसके परिणामस्वरूप इतनी लंबी अवधि के लिए सरकारी अनुदान में रुकावट आई, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खराब वित्तीय नियंत्रण का संकेत है।
- 2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए गए। रु. 80.11 करोड़ केवल दिसंबर 2018 में उपयोग किया गया था, जिससे रु. 60.11 करोड़ इन सीयू के साथ अव्ययित शेष रह गया। स्कूलों की स्थापना के बाद सीयू ने न तो यूसी. प्रस्तुत किए हैं और न ही रु. 60.11 करोड़ की अव्ययित राशि वापस की है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक की स्थिति यूजीसी के पास उपलब्ध नहीं थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को इंगित करता है।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र रु. 560.64 करोड़ और रु. 385 करोड़ मार्च 2022 तक क्रमशः 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए 42 सीयू को जारी किए गए लंबित थे।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र 162 राज्यों के विश्वविद्यालयों में से 117 को जारी रु. 136.43 करोड़ मार्च 2022 तक बकाया थे।
- बाहरी लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय के संबंध में 1979-80 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 127 लेखापरीक्षा पैरा 31.03.2022 तक बकाया थे।

(ii) आई यू सी टी ई वाराणसी के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है:

- अचल संपत्ति रजिस्टर और उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर को क्रमशः जीएफआर 22 और जीएफआर 23 के तहत आवश्यक प्रारूप में नहीं रखा गया है।
- केंद्र द्वारा निवेश रजिस्टर और अनुबंध रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता था।
- केन्द्र में 18 पद रिक्त हैं क्योंकि कुल स्वीकृत 57 पदों के विरुद्ध मात्र 02 नियमित एवं 37 संविदा/आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।

- (iii) सीईसी दिल्ली में अग्रिम 2006-07 से बकाया हैं
- (iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीईई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर में अनुपालन लेखापरीक्षा के 17 पैरा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के 11 पैरा लम्बित थे।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन नवंबर 2021 तक किया गया है (भौतिक सत्यापन 2008 के बाद किया गया था)। यूजीसी के वार्षिक खातों की अनुसूची-4-स्थिर संपत्ति के अनुसार रु 66.93 लाख मोटर वाहन के रूप में परिलक्षित हुआ और रुपये 25.13 लाख की राशि सौर पैनल की स्थापना के रूप में परिलक्षित होता है लेकिन मोटर वाहन और सौर पैनल अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2021-22 तक किया गया है।
- आरओ की अचल संपत्तियों से संबंधित भौतिक सत्यापन का आयोजन 31.03.2022 तक किया गया है।
- आईयूसी की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	आईयूसी का नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2021-22
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19 (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर)
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2021-22
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	2021-22
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	2021-22
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2021-22
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई निश्चित संपत्ति नहीं

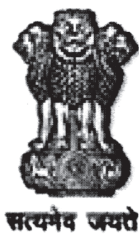
4. माल के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन जून 2022 तक किया गया है।
- 3 आरओ अर्थात् SERO, हैदराबाद, NERO, गुवाहाटी और WRO, पुणे, स्टेशनरी, स्टॉक और उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित भौतिक सत्यापन को 31.03.2022 तक आयोजित किया गया था। शेष तीन RO के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- आईयूसी की सूची के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	आईयूसी का नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2021-22
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2021-22
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	जानकारी नहीं है
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2021-22
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- खातों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर को छोड़कर यूजीसी और इसके आठ आईयूसी के संबंध में 31.03.2022 को सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था। जिनमें से सांविधिक बकाया रु 3.22 लाख 31.03.2022 तक लंबित था।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604313, 011-23604199



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

यूजीसी और उसके अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की वर्ष 2021-2022 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा ज्ञापन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उत्तर
क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र संपत्ति ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8)- रु. 15.58 करोड़ मई 2013 में, यूजीसी ने जाकिर हुसैन महाविद्यालय के लिए बहुमंजिला शैक्षणिक टॉवर के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत रु. 67.97 करोड़ थी। नवंबर 2021 में महाविद्यालय ने यूजीसी से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 68.00 करोड़ से रु. 95.50 करोड़ तक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया, और सहायता अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज का बहुमंजिली शैक्षणिक मीनार के निर्माण हेतु अनुदान के भाग के रूप में 18 करोड़ करने के लिए अनुरोध किया। यूजीसी ने जनवरी 2022 में महाविद्यालय से रुपये 12.50 करोड़ (स्वीकृत सहायता अनुदान के 5.50 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद जो कॉलेज को जारी किया जाना था) की ब्याज राशि वापस करने को कहा। यूजीसी ने ऋण, अग्रिम और जमा के तहत और वर्तमान देनदारियों के तहत कॉलेज से प्राप्त 12.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता पर ब्याज आय के रूप में भारत सरकार को वापस किया जाना है, की ब्याज राशि नहीं दिखाई। इसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को रु. 12.50 करोड़ न्यूनतम दर्शाया गया है।	खातों के प्रारूप के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखा में अव्ययित अनुदान की वापसी अनुसूची -10 में बैंक खातों में इसे प्राप्त करने के बाद ही दिखाया जाता है।
(ख)	अनुदान सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान खातों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ₹ 13850.43 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ 1685.45 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, ₹ 467.21 करोड़ का	दिखाए गए आंकड़े हमारे रिकॉर्ड के साथ मेल खाते हैं। कोई टिप्पणी नहीं।

(Signature)

	अव्ययित शेष था, ₹ 262.29 करोड़ के अनुदान प्राप्त संस्थानों से रिफंड और ₹ 32.26 करोड़ की आय। कुल ₹14612.19 करोड़ की निधि में से ₹191.80 करोड़ व्यपगत हो चुके थे तथा ₹442.45 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिए गए थे। इसने ₹ 13620.59 करोड़ (पूँजी - ₹ 0.51 करोड़, राजस्व - ₹ 119.00 करोड़ अनुदान - ₹ 13501.08 करोड़) का उपयोग किया, जिससे ₹ 357.36 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। 2021-22 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ:	
(1)	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ₹ 122.40 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ शून्य) की सहायता अनुदान और ₹ 25.90 करोड़ की शुरुआती शेष राशि थी। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹0.96 करोड़ भी मिले। ₹ 149.27 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने ₹ 136.26 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 13.01 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।	
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ₹ 55.55 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त शून्य) की सहायता अनुदान और ₹ 4.88 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹0.20 करोड़ भी मिले। ₹ 60.64 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने ₹ 60.36 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 0.28 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।	कोई टिप्पणी नहीं।
(3)	अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए ₹ 74.00 करोड़ (मार्च 2022 के महीने में प्राप्त ₹ 9.00 करोड़) की सहायता अनुदान और ₹ 4.19 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹0.56 करोड़ भी मिले। ₹ 78.75 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने ₹ 78.15 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 0.60 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।	कोई टिप्पणी नहीं।
(4)	यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास ₹ 0.99 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। इसे बैंक ब्याज और रिफंड के रूप में ₹0.08 करोड़ भी मिले। ₹ 1.08 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से, इसने ₹ 0.03 करोड़ का उपयोग किया और 31.03.2022 को ₹ 1.05 करोड़ की अव्ययित शेष राशि छोड़ दी।	कोई टिप्पणी नहीं।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली

क. क.1 क.1.1	आय और व्यय खाता आय अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)-रु. 56.18 करोड़ आईयूएसी ने अनुदान से मिलने वाले राजस्व व्यय को उपलब्ध अनुदान 51.74 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान: 45.49 करोड़ रुपये + प्रारंभिक शेष: 6.28 करोड़ – यूजीसी को वापस: 0.03 करोड़ रुपये) सरकार से प्राप्त वास्तविक अनुदान तक सीमित करने के बजाय इस अनुसूची में संपूर्ण राजस्व व्यय 56.18 करोड़ रुपये दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अनुसूची में रुपये 4.44 करोड़ परिणामी पूंजीगत निधि के अतिकथन के साथ और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके- अनुपयोगित सहायता अनुदान रु. 4.44 करोड़ (10.18 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त पूंजी अनुदान 4.44 करोड़ रुपये के घाटा राजस्व अनुदान के साथ शुद्ध किया गया है और शेष 5.74 करोड़ रुपये खातों में अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दिखाया गया है) से अधिक अनुदान/सब्सिडी का चित्रण हुआ है।	लेखा के एमएचआरडी प्रारूप के अनुसार राजस्व व्यय के संचालन के लिए सीएजी ऑडिट टीम द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष से अपनाई जाएगी। सुझाव भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
ख.	सामान्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति और उस पर निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाना है। हालांकि, इसे लिखित डाउन वैल्यू और विभिन्न दरों पर लगाया गया है, जिससे शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन होता है।	केंद्र मूल्यहास की विधि के अनुसार मूल्यहास वसूल रहा है (06.07.2020 को हुई 62वीं वित्त समिति की बैठक में अनुमोदित)। इसलिए, केंद्र द्वारा अपनाई गई मूल्यहास पद्धति और दरें आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। हालांकि, यह नोट किया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार के लिए लिया जाएगा और तदनुसार, अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति और उस पर निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाएगा।
ग.	अनुदान सहायता लेखों के अनुसार आईयूएसी को 2021-22 के दौरान 53.29 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.80 करोड़ रुपये और राजस्व 45.49 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें 14.27 करोड़ रुपये (पूँजी: 7.99 करोड़ रुपये और राजस्व 6.29 करोड़ रुपये) की शुरुआती शेष राशि थी। इसने 61.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया। (पूँजी: 5.61 करोड़ रुपये,	कोई टिप्पणी नहीं / नोट किया गया।

राजस्व: 56.18 करोड़ रुपये और यूजीसी को वापसी: 3.16 लाख) 5.74 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि। 31 मार्च 2022 तक (पूँजी: 10.18 करोड़ रुपये और राजस्व: (-) 4.44 करोड़ रुपये)। यह पैरा प्रेक्षण संख्या बी.1.1 के अधीन है।	
--	--

2. शैक्षिक संचार के लिए संघ (सीईसी), नई दिल्ली

क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र संपत्ति निवेश - अन्य (अनुसूची -6) - रु 5.87 करोड़ सीईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान 2.38 करोड़ रुपये के एफडीआर का नवीनीकरण किया, जिसमें 2.25 करोड़ रुपये का मूलधन और 13.19 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। हालांकि, निवेश (अनुसूची 6) में, 2.25 करोड़ रुपये की एफडीआर राशि 2021-22 में दिखाई गई है, जबकि 31 मार्च 2022 को वास्तविक एफडीआर 2.38 करोड़ रुपये थी। पुनर्निवेशित ब्याज आय रु. 13.19 लाख भी खातों में परिलक्षित नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप आय और निवेश में 13.19 लाख रुपये की कमी आई है।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सावधि जमा मैच्योर हो गई और बैंक द्वारा उसी राशि के लिए नवीनीकरण किया गया जिसके कारण अर्जित ब्याज (13.19 लाख रुपये) खातों में नहीं लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जब एफडीआर बैंक द्वारा मैच्योर हो जाएगा, तो ब्याज सहित सावधि जमा (13.19 लाख रुपये) खातों में ले ली जाएगी।
क.1.2 (i)	ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची-8) - रु.64.08 करोड़ उपरोक्त में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें 'यूजीसी से अर्जित कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ' के रूप में दिखाया गया है, जो पिछले वर्षों के लिए रु 20.34 करोड़ और चालू वर्ष के लिए रु. 2.61 करोड़, यूजीसी से बिना किसी मंजूरी/अनुमोदन के। खातों के समान प्रारूप के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के सभी प्रावधानों को अनुसूची 15 के माध्यम से आय और व्यय खाते में शामिल करना आवश्यक है। आई एवं ई खाते के किसी भी अधिशेष/घाटे को बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में समायोजित किया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान के गलत चित्रण के परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों और पूंजी निधि को रु. 22.95 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। यह वर्ष 2020-21 के लिए एसएआर में इंगित किया गया था लेकिन सीईसी द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	खाते वास्तविक आधार पर तैयार किए गए हैं। वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया है और एएस-15 के अनुसार वर्ष के लिए संबंधित देयता प्रदान की गई है। इस दायित्व के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाला इतना अनुदान यूजीसी से वर्ष के लिए अर्जित आय के रूप में माना जाता है और ऋण और अग्रिम के तहत संपत्ति के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्य राशि के रूप में दिखाया जाता है। अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(ii)	सीईसी ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई को 2011 में 1.81 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया। यह राशि खातों में चालू संपत्ति के तहत दिखाई जाती है। हालांकि,	एनआईसीएसआई से कुछ स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया है और यह अग्रिम चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तय किया जाएगा, इस संदर्भ में उपरोक्त अग्रिम का

Yh.

	एनआईसीएसआई पत्र दिनांक 02.03.2021 के अनुसार, रुपये 1.81 करोड़ के अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद, एनआईसीएसआई के प्रति 0.07 करोड़ रुपये की देनदारी है। सीईसी ने न तो रुपये 1.81 करोड़ के अग्रिम भुगतान को समायोजित किया है और न ही खातों में 0.07 करोड़ रुपये का कोई प्रावधान किया। इसके कारण ऋणों और अग्रिमों को रु. 1.81 करोड़ से अधिक, व्यय को 1.88 करोड़ रुपये से कम और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को 0.07 करोड़ रुपये से कम करके दर्शाया गया है।	निपटान नहीं होने पर प्रावधान लिया जाना है।
ख.	अनुदान सहायता सीईसी ने वर्ष 2021-22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /एमएचआरडी से 32.84 करोड़ रुपये का अनुदान सहायता प्राप्त की और 64.45 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि थी। इसे वर्ष के दौरान रु.0.76 करोड़ का ब्याज और अन्य आय प्राप्त हुई। कुल उपलब्ध धनराशि रु. 98.05 करोड़ में से, इसने रु 18.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया एवं 31 मार्च 2022 तक की अव्ययित शेष राशि 80.01 करोड़ रुपये को छोड़कर।	कोई टिप्पणी नहीं।

3. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो-फिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे

क.	अनुदान सहायता आईयूसीएए को 48.19 करोड़ रुपये (वेतन 16.18 करोड़ रुपये (ओएच 36), पूंजी 12.00 करोड़ रुपये (ओएच 35) और गैर-वेतन 20.00 करोड़ रुपये (ओएच 31)) का अनुदान सहायता प्राप्त हुई है और 21.01 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के ऑडिट प्रमाण पत्र के अनुसार) (वेतन के तहत 8.31 करोड़ रुपये (ओएच 36), गैर-वेतन के तहत 2.94 करोड़ रुपये और पूंजी के तहत 9.76 करोड़ रुपये) का अप्रयुक्त अग्रेषित शेष है। इसके अलावा आईयूसीएए IUCAA ने 0.34 करोड़ रुपये (वेतन रु. 0.74 लाख (ब्याज), पूंजी रु. 0.71 लाख (ब्याज) और गैर-वेतन रु. 32.98 लाख (आईआरजी) अनुदान के विरुद्ध की आंतरिक आय अर्जित की है। इस प्रकार, संस्थान के पास उपलब्ध कुल निधि रु. 69.54 करोड़ (वेतन 24.50 करोड़ रुपये, पूंजी 21.77 करोड़ रुपये और गैर-वेतन 23.27 करोड़ रुपये) जिसमें से संस्थान ने रुपये 50.28 करोड़ (वेतन 20.89 करोड़ रुपये, पूंजी 8.49 करोड़ रुपये और गैर वेतन 20.89 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। संस्थान ने 0.15 करोड़ रुपये (वेतन पर ब्याज 0.74 लाख रुपये, पूंजी पर ब्याज 0.71 लाख रुपये, और गैर-वेतन (आईआरजी) 13.93 लाख रुपये) की आंतरिक आय को व्यपगत/समर्पण कर दिया है। इस प्रकार, वर्ष के अंत में 31.03.2022 तक अप्रयुक्त शेष अनुदान रु. 19.11 करोड़ (वेतन 3.6 करोड़	नोट/कोई टिप्पणी नहीं।
----	---	-----------------------

Yh

रुपये, पूंजी 13.27 करोड़ रुपये और गैर-वेतन 2.24 करोड़ रुपये) रहा।	
इस प्रकार, पूर्व तुलन पत्र के अनुसार क्लोजिंग बैलेंस और प्रमाणित खातों के बीच 4.00 लाख रुपये का अंतर वर्तमान वर्ष के खातों के दौरान भी होते रहे, जिन्हें समेटने और सुधारने की आवश्यकता है।	

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर

क.	अनुदान सहायता	नोट किया /कोई टिप्पणी नहीं
	इनफ्लिबनेट को 2021-22 के दौरान रु. 11.51 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त हुई। जिसमें से इसने रु 10.80 करोड़ रुपये का उपयोग किया, 31 मार्च 2022 तक 71.32 लाख रुपये के अप्रयुक्त सहायता अनुदान को छोड़कर।	

5. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, (नैक), बेंगलुरु

क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र संपत्ति अचल संपत्ति (अनुसूची 3) - रु। 21.78 करोड़ उपरोक्त में आईसीटी समर्थित सेवाओं और ई-गवर्नेंस के संबंध में 3.96 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। आईसीटी के मॉड्यूल को वर्ष 2017 से विभिन्न वर्षों में लागू किया गया और उपयोग में लाया गया। हालांकि, कमीशन के बाद से कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 3.11 करोड़, (चालू वर्ष मूल्यहास: रु. 4.15 लाख और पिछले वर्षों में मूल्यहास: रु. 3.07 करोड़) परिणामी अचल संपत्तियों और पूंजीगत निधि को रु. 3.11 करोड़ रुपये से मूल्यहास को कम किया गया है।	चूंकि परियोजना प्रगति पर है, अब तक भुगतान की गई राशि का पूंजीकरण नहीं किया गया है। परियोजना के पूरा होने पर पूरी राशि का पूंजीकरण किया जाएगा। भुगतान की गई राशि को कैपिटलाइज़ करने के लिए ऑडिट के सुझाव पर ऑडिटर्स के साथ चर्चा के बाद विचार किया जाएगा।
ख.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों के लिए टिप्पणी लेखों के लिए टिप्पणी नंबर 7 के अनुसार, कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेखों के लिए यह टिप्पणी शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के प्रारूप के उल्लंघन में है जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को निर्धारित करता है।	नैक की स्थापना के बाद से इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। हालांकि इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा।



ग.	अनुदान सहायता नैक को वर्ष के दौरान 13.45 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मिला जिसका पूर्ण उपयोग किया गया।	नोट किया/कोई टिप्पणी नहीं
----	---	---------------------------

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (सीएसआर), इंदौर, मध्य प्रदेश

क.	सामान्य केंद्र ने मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक वेतन बुक किया है। मार्च 2022 के महीने के लिए वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के उल्लंघन में है जो यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी खर्चों का उस वर्ष में अपने आप हिसाब किया जाना चाहिए।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
ख.	अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, यूजीसी, डीएई, कंसोर्टियम को 43.50 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पास 11.68 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। इस प्रकार कुल उपलब्ध निधियों में से रु. 55.18 करोड़ रुपये की राशि में से 50.13 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था जिस के कारण 31 मार्च 2022 तक 5.05 करोड़ अप्रयुक्त शेष रह गई। वर्ष के दौरान अर्जित और वापस किया गया ब्याज, यूजीसी में शीर्ष -35 के तहत दिखाए गए पूंजी अनुदान को छोड़कर समान है जिसमें अर्जित ब्याज 12.55 लाख रुपये है और वापसी ब्याज 14.85 लाख रुपये दिखाया गया है जिसमें वर्ष 2020-21 के लिए 2.30 लाख रुपये का प्रोद्भवन ब्याज शामिल है। हालांकि, 2.26 करोड़ रुपये का अग्रिम एवं पूंजी एवं राजस्व अनुदान के प्रति 0.74 करोड़ रुपये का उपयोग संस्थान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र में दर्शाया गया है।	नोट किया

7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र देयताएं वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 2) - रु। 93.87 लाख सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को जारी सहायता अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज की राशि रु. 4.19 लाख (2019-20: 0.25 लाख रुपये, 2020-21: 2.35 लाख रुपये और 2021-22: 1.59 लाख रुपये) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /सीएफआई को वापस कर दिए जाएंगे।
--------------------	---	---

	के सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। आईयूसीवाईएस ने रु 4.19 लाख का ब्याज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान पर अर्जित किया (2019-20: 0.25 लाख रुपये, 2020-21: 2.35 लाख रुपये और 2021-22: 1.59 लाख रुपये) जो न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस किया गया था और न ही इसके लिए बनाये गए खातों में इसकी देयता थी। वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि को संबंधित वर्ष के खातों में आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रु. 4.19 लाख से अधिक बताया गया है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था लेकिन आईयूसीवाईएस द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
ख.	अनुदान सहायता आईयूसीवाईएस को 2021-22 के दौरान 55.50 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसका शुरुआती बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को रु. 55.70 लाख था। कुल निधि में से रु 111.20 लाख, इसने 17.53 लाख रुपये का उपयोग किया। 31 मार्च 2022 तक 93.67 लाख की अव्ययित शेष राशि छोड़कर।	नोट किया

8. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, वाराणसी (केंद्र)।

क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र: देयताएं वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 3)- रु. 38.68 लाख उपरोक्त में अप्रयुक्त अनुदान सहायता राशि के लिए 37.41 लाख रुपये की देयता शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि रु 37.41 लाख को अधिक दर्शाया गया है।	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान का उपयोग वर्तमान वर्ष में ही किया गया है इसलिए वर्तमान वर्ष अर्थात 2021-22 का कोई अप्रयुक्त अनुदान नहीं था। तथापि, 01.04.2021 को कुल अव्ययित अनुदान 259.60 लाख रुपये था और 31.03.2022 को 35.06 लाख रुपये था। यह अव्ययित अनुदान पिछले वर्षों के संचय हैं। स्थापना के बाद से यह माना जाता था कि ये अनुदान वापस करने योग्य नहीं हैं और इसलिए पिछले अभ्यास के आधार पर इसके लिए कोई दायित्व नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से किसी भी पिछले वित्तीय वर्षों के ऑडिट प्रश्न में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है और न ही ऑडिट टीम द्वारा आपत्ति की गई है। इसलिए हमारी धारणा के आधार पर वही पिछली प्रथा चालू वित्तीय वर्ष में भी अपनाई गई है और अनुसूची 3 में अव्ययित अनुदान के लिए
-----------------------------	--	---



		खातों की पुस्तकों में कोई दायित्व नहीं बनाया गया था। आगे, अप्रयुक्त अनुदान के प्रति देयता को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करना केवल लेखांकन प्रविष्टि का मुद्दा है और खाते की पुस्तकों में वास्तविकता में इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
ख.	अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र ने 32.85 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त किया, 7.85 लाख रुपये का ब्याज प्राप्त किया और 9.24 लाख रुपये की आंतरिक आय अर्जित की। 1 अप्रैल 2021 को इसमें 2.62 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस था, जिसमें 35.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 35.06 करोड़ रुपये की शेष राशि छोड़कर 58.07 लाख रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से 31. 3. 2022 शेष रही।	नोट किया /कोई टिप्पणी नहीं।



लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कमजोर है - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है, लेकिन विंग में कोई नियमित अधिकारी नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या की पहचान नहीं की गई है। - पीआर शिक्षा मंत्रालय का खाता कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आंतरिक ऑडिट कभी नहीं किया गया। - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं है।	नोट किया
2. (i)	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार मजबूत करने की आवश्यकता है: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर अनावर्ती व्यय के लिए अगस्त 2008 में लक्ष्मीबाई महाविद्यालय को रु. 859.00 लाख स्वीकृत की। महाविद्यालय अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपयोग अनुसूची को समय-समय पर बढ़ाया (नवीनतम सितंबर 2021 तक)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चूक/वापसी से बचने के लिए मार्च 2019 में महाविद्यालय ने अनुदान की सभी शेष राशि रुपये 13.01 करोड़ (अर्जित ब्याज सहित) पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दी हालांकि काम शुरू होना बाकी था। इसके परिणामस्वरूप इतनी लंबी अवधि के लिए सरकारी अनुदान में रुकावट आई, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खराब वित्तीय नियंत्रण का संकेत है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
2012-13 और 2013-14 में 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को शिक्षा स्कूलों की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए गए। रु. 80.11 करोड़ केवल दिसंबर 2018 में उपयोग किया गया था, जिससे रु 60.11 करोड़ इन सीयू के साथ अव्ययित शेष रह गया। स्कूलों की स्थापना के बाद सीयू ने न तो यूसी प्रस्तुत किए हैं और न ही रु. 60.11 करोड़ की अव्ययित राशि वापस की है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक की स्थिति यूजीसी		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना के लिए 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 13000.00 लाख रुपये जारी किए। 31.12.2018 को, 8010.86 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था और 31.12.2018 को अनुदान पर अर्जित ब्याज सहित 6010.73 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान



	के पास उपलब्ध नहीं थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को इंगित करता है।	आयोग ने 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से स्कूल ऑफ एजुकेशन के लिए जारी अतिरिक्त अनुदान के निपटान के लिए अनुरोध किया है और 31.03.2019 को व्यय / यूसी का विवरण प्रस्तुत करें और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, वापस करें.
उपयोगिता प्रमाण पत्र रु. 560.64 करोड़ और रु 385 करोड़ मार्च 2022 तक क्रमशः 2018-19 और 2019-20 के दौरान पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए 42 सीयू को जारी किए गए लंबित थे।	एसएआर और कुछ अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अंतिम यूसी नोट किया जाता है। बारहवीं योजना अवधि के लिए पूंजीगत संपत्ति के तहत खातों का अंतिम निपटान प्रक्रियाधीन है क्योंकि बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी अनुदान के उपयोग के लिए समय का विस्तार 31.03.2019 था और अनुदान के उपयोग के लिए समय के विस्तार के लिए प्राप्त विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को अग्रेषित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) MoE ने अपने पत्र संख्या 4-12/2020-CU.VII दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए OH-35 के तहत जारी अनुदान के उपयोग की अवधि बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पूंजीगत संपत्ति के तहत खातों का अंतिम निपटान प्रक्रियाधीन है। संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुस्मारक भेजा जा रहा है। खाते के निपटारे के लिए जल्द ही संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के साथ बैठक बुलाई जाएगी।	
उपयोगिता प्रमाण पत्र 162 राज्यों के विश्वविद्यालयों में से 117 को जारी रु.136.43 करोड़ मार्च 2022 तक बकाया थे।		अनुपालन के लिए नोट किया गया।
बाहरी लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय के संबंध में 1979-80 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 127 लेखापरीक्षा पैरा 31.03.2022 तक बकाया थे।		अनुपालन के लिए नोट किया गया।



(ii)	आई यू सी टी ई वाराणसी के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है: - अचल संपत्ति रजिस्टर और उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर को क्रमशः जीएफआर 22 और जीएफआर 23 के तहत आवश्यक प्रारूप में नहीं रखा गया है। - केंद्र द्वारा निवेश रजिस्टर और अनुबंध रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता था। - केन्द्र में 18 पद रिक्त हैं क्योंकि कुल स्वीकृत 57 पदों के विरुद्ध मात्र 02 नियमित एवं 37 संविदा/आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।	अनुपालन के लिए नोट किया गया। अनुपालन के लिए नोट किया गया। अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(iii)	सीईसी दिल्ली में अग्रिम 2006-07 से बकाया हैं	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
(iv)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीआई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर में अनुपालन लेखापरीक्षा के 17 पैरा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के 11 पैरा लम्बित थे।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
3.	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन नवंबर 2021 तक किया गया है (भौतिक सत्यापन 2008 के बाद किया गया था)। यूजीसी के वार्षिक खातों की अनुसूची-4-स्थिर संपत्ति के अनुसार रु 66.93 लाख मोटर वाहन के रूप में परिलक्षित हुआ और रुपये 25.13 लाख की राशि सौर पैनल की स्थापना के रूप में परिलक्षित होता है लेकिन मोटर वाहन और सौर पैनल अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2021-22 तक किया गया है। - आरओ की अचल संपत्तियों से संबंधित भौतिक सत्यापन का आयोजन 31.03.2022 तक किया गया है। - आईयूसी की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:	नोट किया नोट किया नोट किया नोट किया

क्रम संख्या	आईयूसी का नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2021-22
2	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19 (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर)
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2021-22
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	2021-22

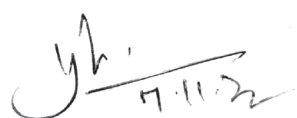


6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	2021-22
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2021-22
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई निश्चित संपत्ति नहीं

4.	माल के भौतिक सत्यापन की प्रणाली - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्यालय) के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन जून 2022 तक किया गया है। 3 आरओ अर्थात SERO, हैदराबाद, NERO, गुवाहाटी और WRO, पुणे स्टेशनरी, स्टॉक और उपभोग्य सामग्रियों से संबंधित भौतिक सत्यापन को 31.03.2022 तक आयोजित किया गया था। शेष तीन RO के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए। - आईयूसी की सूची के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-	नोट किया वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेष तीन आरओ द्वारा किया जाएगा। नोट किया
----	---	---

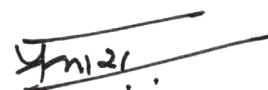
क्रम संख्या	आईयूसी का नाम	PV तक किया गया
1.	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली	2021-22
2.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, वाराणसी	2019-20
3.	शैक्षिक संचार के लिए संघ, नई दिल्ली	2018-19
4.	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर	2021-22
5.	इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे	कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है
6.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु	जानकारी नहीं है।
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संघ, इंदौर	2021-22
8.	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, बेंगलुरु	कोई इन्वेंट्री नहीं है

5.	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता खातों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीएई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, इंदौर को छोड़कर यूजीसी और इसके आठ आईयूसी के संबंध में 31.03.2022 को सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था। जिनमें से सांविधिक बकाया रु 3.22 लाख 31.03.2022 तक लंबित था।	नोट किया
----	--	----------



(प्रेम नाथ गुप्ता)

अवर सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार